gues of mine that this is an issue where we should not have any prejudice or any party approach.

Firstly, we should discuss this matter in all sections of the Bar and thereafter we should come to a conclusion whether we would like to have a horrendous system like the United States where Judges are interrogated in the Senate Committee or the one like we have in England where the Lord Chancellor recommends appointment of Judges to Her Majesty, the Queen. This is not a matter where we can hasten the Government into some sort of a decision. If there are shortcomings they are shortcomings of human beings, not of the system. What Dr. Ambedkar had suggested has been elaborated. pandit Nehru, Sardar Patel, Rajendra Babu, they were all eminent scholars of law and leaders of the Bar in their own right. So, I am sorry to say that the Bar is totally divided.There is a myopic vision with which the Bar works. We would like this issue to be discussed in the public because if we erode the judicial independence by anything I do not know how a commission will function. These retired Judges are having a keen desire to come back and govern the judiciary. Let us not do it in a haste. A sitting Chief Justice is entitled to have his own prominence. Therefore, while supporting the hon. Member, I would like to say that a national debate on this subject should begin. Therer should be no pressure on the Government to immediately bring some sort of legislation which will not be healthy for the functioning of democracy.

SHORT DURATION DISCUSSION

Police Firing on Dalits in Mumbai and Atrocities Committed on Them in Other Parts of Maharashtra

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिंदे (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 176 के जरिये मुम्बई में हुई पुलिस फायरिंग जहां पर महाराष्ट्र सरकार ने दलितों की हत्या की और जहां एट्रोसिटीज़ आज भी बढ़ती जा रही हैं, इस विषय पर चर्चा शुरू करना चाहता हूं। हम भारतवर्ष की स्वाधीनता का 50वां वर्ष मनाने जा रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जब हमें स्वाधीनता मिलेगी, जब हमारी प्रजासत्ता बनेगी तो हमारी जो इच्छा है कि दलित वर्ग जो दिखता नहीं है अन टू लॉस्ट, उसको हम इस देश में आगे ला कर दिखायेंगे और सामर्थवान बनाएंगे। आज जब हम स्वाधीनता का 50वां वर्ष मनाने जा रहे हैं, इसी साल में मुम्बई में एक शर्मनाक घटना महाराष्ट्र सरकार ने की है जिसमें 11 दलितों की हत्या की है। देश में ऐसा आज तक कहीं भी नहीं हुआ कि दलितों की हत्या केवल इस कारण हो गई क्योंकि वह इकट्ठा हो गये। महोदया, 11 जुलाई की सुबह का वक्त था, छः-साढ़े छः बजे थे। जिस जगह यह घटना हुई रमाबाई अम्बेडकर नगर घाटकोपर और विकरोली के बीच में है। रमाबाई नगर के सामने ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है। रमाबाई अम्बेडकर नगर में कई सालों से दलित वर्ग के लोग रहते हैं। वहां जो दलित वर्ग के लोग हैं, उनकी संख्या एक लाख से ज्यादा है। यह ठीक है कि वहां दूसरी कई जातियों के लोग भी रहते हैं लेकिन ज्यादातर वहां दलित वर्ग के लोग रहते हैं। बड़ा सेंसेटिव एरिया है। देहात से आए हुए दलित मुम्बई में अपना पेट भरने के लिए आते हैं। यह एक ऐसा वर्ग है जो पेट भरने के लिए आते हैं लेकिन अपने हकों के लिए हमेशा जागरूक रहते हैं। महात्मा गांधी जी और बाबा साहब डा० भीमराव अम्बेडकर ने जो हमें पढ़ाया है, सिखाया है कि हम चाहे गरीब हों, दलित हों लेकिन हम स्वाभिमान नहीं बेचना चाहते। 11 तारीख को सुबह 6 बजे डा० बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को चप्पलों की माला डाली गयी। जो वर्ग जो एक लाख लोग वहां रहते थे उनमें सभी साथी थे—सरकारी नौकरी करने वाले, कुछ छोटे छोटे अपनी दुकानें चलाने वाले—ये सुबह 5 बजे से अपना काम करते रहे हैं और अपने अपने काम के लिए जाते हैं। वहां एक पुलिस स्टेशन भी है स्टेचू के नजदीक। लेकिन 11 तारीख को सुबह 5 और 6 के बीच में कभी तो यह माला डाली गयी और सुबह 6 बजे से वहां सब दलित वर्ग इकट्ठा होने लगा .और उन्होंने यह मांग की कि डा० बाबा साहब अम्बेडकर को जो यह जूतों की माला डाली है यह किसने डाली है इसका शोध होना चाहिए। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की। नजदीक की पुलिस चौकी में जाकर उन्होंने रिपोर्ट कर दी और रिपोर्ट करने के बाद भी वहां पुलिस नहीं आयी। एक अकेली चौकी में यह पुलिस रहती है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहता हूं कि जो भी आपके सेंसिटिव एरिया होते हैं और महाराष्ट्र में ये कई जगह हैं, यहां बड़ी

तादाद में पुलिस रखने का एक प्रभाव होता है ताकि कोई गलत काम वहां न करे। मैं जरा इसकी पार्श्वभूमि बताना चाहता हूं। मैं सोचता हूं कि 11 तारीख को ऐसा काहे के लिए हो गया, किसलिए हो गया। उसके पहले 8 तारीख को बम्बई में बम्बई प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक मोर्चा निकाला गया था। वह मोर्चा इसलिए निकाला था कि महाराष्ट्र सरकार ने आश्वासित किया था कि 27 लाख युवकों को हम रोजी-रोटी देंगे लेकिन आज ढाई साल होने के बाद वहां 50 हजार युवकों को भी रोजी रोटी नहीं दी गयी। इसलिए मुरली देवरा जी के नेतृत्व में वहां 8 तारीख को एक मोर्चा निकाला था। वह बम्बई कांग्रेस कमेटी का मोर्चा, विभागीय प्रेदश कांग्रेस कमेटी का मोर्चा था, अच्छी तादाद का मोर्चा था। दूसरे दिन 9 तारीख को महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से एक मोर्चा निकाला। कितने लोग वहां मोर्चे में सम्मिलित थे? एक लाख से ऊपर लोग सम्मिलित थे। ये काहे के लिए आए थे? महाराष्ट्र सरकार ने कांडिवली में जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले गरीब लोग हैं जिनमें काफी दलित वर्ग के लोग भी थे, एक लाख लोगों का जो रहिवास था, उन झुग्गी झोंपड़ियों को तोड़ दिया था। तो ये झुग्गी झोंपड़ी वाले वहां मोर्चा लेकर आ गए। उनका नेतृत्व हमारे पिचड़ साहब और भुजबल साहब जो विरोधी दल का नेतृत्व कर रहे थे, ये दोनों नेता कर रहे थे। 8 तारीख की बम्बई प्रदेश कांग्रेस का मोर्चा निकला था और 9 तारीख की महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस का मोर्चा निकला था। 10 तारीख का एक दिन शान्तता में गया और 11 तारीख को बाबा साहब अम्बेडकर जी को चप्पलों की मालाएं डाली गयी। यह मैं कोइनसाइड इसलिए करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि शिवसेना-बी०जे०पी० की जब से सरकार आयी है—ठीक है महाराष्ट्र की जनता ने हमको राज करने का मौका नहीं दिया—हमने कोई दो-ढाई साल में वहां आंदोलन नहीं किया, कोई मोर्चा नहीं निकाला कोई सरकार से जवाब नहीं मांगा लेकिन ढाई साल के बाद भी जो आपने कमिट करके लोगों को बताया था कि हम 40 लाख लोगों को घर देंगे, ढाई साल में एक भी घर वहां नहीं बांधा उल्टे ये जो एक लाख लोग वहां रहते थे, गरीबी लोगों की झुग्गी झोंपड़ियां थी उनको ही उठा दिया और इसलिए उठा दिया कि झुग्गी झोंपड़ियों की जगह को बिल्डरों के लिए स्वाधीन करना और उसमें जो काला पैसा आने वाला था उसका एक कंसीडरेशन था। इसलिए यह काम किया। नाम क्या लेते थे कि बंगलादेशियों को हम बाहर निकालना चाहते हैं। महोदय, मैं इसलिए इस घटना का विरोध करना चाहता हूं कि जब यह सरकार सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद दो-ढाई साल होने के बाद भी कुछ काबू में नहीं कर रही है। झूठे वादे करके सत्ता में आए लेकिन गरीबों को न्याय नहीं दे पाए। ग्रामीण विभाग में भी वहीं है और शहरीविभाग में भी वही उनकी कार्यवाही चली है। 2.00 P.M. और इसकी वजह से जो वहां विचारों की मालाएं पैदा हो गई थीं और उसकी तरफ से महाराष्ट्र की कांग्रेस ने और बम्बई की कांग्रेस ने मोर्चा लिया। ये मोर्चे इतने बड़े थे कि यह सरकार सोच में पड़ी थी और उसके बाद ही। 11 तारीख का इंसीडेंस हो गया। उपसभाध्यक्ष जी, 11 तारीख को जो सुबह इंसीडेंस हो गया 6.30 बजे रिपोर्ट की पुलिस में, 7 बजे पुलिस आफिसर सिविल ड्रैस में आता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ् पुलिस जब 2-3 हजार का मॉब वहां इकट्ठा हो गया वहां पुलिस चौकी में टेलिफोन है और वायरलैस सैट है और जब ऐसी सेंसेटिव एरिया होती है तो ज्यादा अलर्ट रहने का काम होता है। क्या हो गया 6.30 बजने के बाद वे कहते थे वहां के लोग कि आप डाग स्कवाड लाइये और लाकर यह यहां उसे सुंघाए कि कौन कलप्रिट है, उसे ढूंढकर निकालिए। ये बातें उपसभाध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा की विच्छिन्नता करना, उनका अपमान करना, उनके गले में जूतों की मालाएं डालना यह कई सालों से होता रहा है।

मुझे याद है महाराष्ट्र में दलितों का एक मंत्री फाइनांस मिनिस्टर हो गया था और वह अपने गांव चला गया था। पूरे शहर ने उसे बड़ा रिसैप्शन दिया। एक अच्छा विधायक उसको सरकार ने वित्त मंत्री बनाया है। बड़ा अच्छा रिसैप्शन हुआ। एक दिन चला गया। दूसरे दिन बाबा साहब अम्बेडकर के गले में जूतों की माला डालना इससे क्या विदित होता है कि जब भी दलित वर्गीय आदमी उच्च पदस्थ होता है तो उस समय ऐसे ही होता है। इसमें कौन लोग हैं और दोष किसको दें? क्या मैं कहूं कि यह पूरा हिंदुत्ववादी ही करते हैं? मैं नहीं कहूंगा। एक घृणास्पद यह मानवीय विकार है। हमारे महात्मा गांधी ने कहा था कि जो आखिरी आदमी है उसको ऊपर लाना है और उसको सब से ऊंचा करना है। गौरव की बात है कि आज भारतवर्ष में एक दलितों का इतना बड़ा प्रेसीडेंट बना है। वह सपना जो महात्मा गांधी का था। एक प्रेसीडेंट बन गए, लेकिन नीचे दलित मर रहे हैं। यह भी सोचने की बात है। दुनिया को बताने के लिए एक बड़प्पन की जगह हमें मिल गई लेकिन उसके नीचे कितने मारे जा रहे हैं क्या यह भी हम सोचेंगे या नहीं? इसलिए एक शोलापुर का इंसीडेंस मैंने कोट

किया। पहले वह वित्त मंत्री को इतना बड़ा रिसैप्शन मिलता है और दूसरे दिन बाबा साहब के गले में चप्पलों की मालाएं पड़ती हैं।

अभी महोदय, आपको तो पता है, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं ...**(व्यवधान)** खुद था, ठीक है, मैं खुद था ...**(व्यवधान)** उपसभाध्यक्ष जी, जब यह घटना महाराष्ट्र में हो गई है और ऐसी कई घटनाएं हो गई हैं। लेकिन उस वक्त 1983 में जो घटनाएं हो गई थीं आज तक जिसने माला डाली थी वह आरोपी नहीं मिला है। कैसे हो सकता है ...**(व्यवधान)** सरकार की बात छोड़ दें। ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): इंटरप्शन नहीं करिए। उनको बोलने दीजिए।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: मैं सरकार की बात नहीं कहता हूं। यह मानव विचारों की जो विकार है ...**(व्यवधान)** उन विकारों की बात करता हूं ...**(व्यवधान)** मैं आगे आ रहा हूं ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): 15 मिनट हो गए, 55 मिनट आपके हैं।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: हां, उपसभाध्यक्ष जी, यह बैकग्राउंड मुझे इसलिए देनी होगी ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, मैंने सिर्फ समय का ध्यान दिलाया है। ...**(व्यवधान)** यह महत्वूर्ण मामला है, लेकिन मैंने समय की तरफ ध्यान दिलाया है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे याद दिलाया। लेकिन जिस विचारों से भारतवर्ष में दलितों को ऊपर लाने का काम हो रहा था महाराष्ट्र में आज भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार बनी....।

एक फासिस्ट सरकार, एक हुकुमशाही सरकार ने हाथ मे बंदूक लेकर दलितों पर गोली चलाई। एक तपासे नाम की महिला पर गोली चाई गई। उस औरत पर 7 बुलेट्स चलाई गयीं।

श्री मोहम्मद सलीम (पश्चिमी बंगाल): कौशल्या तपासे?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): उन्हें बोलने दीजिए। वह ज्यादा जानते हैं। वह महाराष्ट्र के हैं, आप से ज्यादा जानते हैं।

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे: वह बार-बार कहती थी "मेरे बाबा साहेब" "मैं उन के स्वाभिमान को नहीं मरने दूंगी" और उस पर 7-7 बुलेट चलाई गईं। एक लड़का भागता आया तो उसे उड़ा दिया और उस के सिर में गोली मार दी। क्या यह फासिस्टवृत्ति नहीं है? महोदय, मैं आप को बताना चाहता हूं कि 11, 12 और जब 13 तारीख आ गयी तो इन सब लोगों की प्रेत यात्रा निकली और उसी दिन मुंबई में एक शायर ने, एक कवि ने आत्मा-हत्या करली। अब उन्होंने क्यों आत्म-हत्या कर ली? उन्होंने आत्म-हत्या इसलिए कर ली कि इस महाराष्ट्र सरकार से, इस महाराष्ट्र राज में हमें न्याय नहीं मिलेगा। वह एक कवि थे, एक साहित्यकार थे जोकि एक समाज निर्माता होता है, जोकि समाज की हर धड़कन को पहचानने वाला होता है, एक नई दिशा देने वाला होता है, एक भविष्य-दृष्टा होता है। यह क्यों आत्म-हत्या हुई, यह कोई सोचेगा या नहीं? फिर जब 7-7 गोलियां मारी गईं तो होम मिनिस्टर साहब के नोटिस में मैं लाना चाहूंगा कि फायरिंग का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, उस में दिया है कि पहले टियर गैस छोड़ना चाहिए, लाठी चार्ज करना चाहिए और उस के बाद .22 के रबर के बुलेट से जमाव को हटाना चाहिए। लेकिन यहां क्या किया गया? वहां एक असिस्टेंट कमिश्नर था और वह भी सिविल ड्रेस में। वहां एस०आर०पी० आती है एंड द फायरिंग वाज ओपिन्ड। यहां हम ने क्या सिद्धांत अपनाया? इस का तो एक ही मतलब है कि यह जो नेक्शस पुलिस और सरकार का है, हुकुमशाही सरकार, फासिस्ट सरकार का है कि जो आवाज उठाते हैं, उसे दबा दिया जाना चाहिए। नहीं, तो ऐसा इस देश में कभी नहीं हुआ, महाराष्ट्र में तो कभी नहीं हुआ। एक ही बार में 11 हत्याएं तो इस तरह से कभी नहीं हुईं। फिर जब ये बात नागपुर, वर्धा, शोलापुर, गुजरात और आगरा में फैली तो हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को मानने वाले, उन के सिद्धांत वाले जो साथी हैं, हम ने तय किया कि आप कहीं अगर इस तरह से डा० बाबा साहेब के विचारों के दफन करने का काम करोगे तो हम उन्हें नहीं दफनाने देंगे। डा० बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार फूलों की तरह ऊपर आएंगे और इस देश में उन की सुगंध अलग तरह से फैलती रहेगी, वह कार्य आप नहीं कर सकते।

...**(व्यवधान)**... प्रधान जी, आप अच्छे आदमी हैं, लेकिन आप जरा इंट्रोस्पेक्शन करिए। यह इंट्रॉस्पेक्शन इसलिए करिए कि जिस तरह से आप का राज चल रहा है उस में कामले नाम के शेड्यूल्ड कास्ट के कोरोनर थे, उन के पास सैनिक चले गए और बोलेकि निर्णय हमारे जैसा दे दो। उन कामले जी ने राष्ट्रपति जी को,

उपराष्ट्रपति जी को, चीफ मिनिस्टर को और गवर्नर को एप्लीकेशन दी कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, लेकिन आप ने कितना प्रोटेक्शन दिया?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): अब आप इधर देखर बोलिए, आप उधर देखेंगे तो फिर हस्तक्षेप होता है।

श्री सुशीलकुमार संभाजीराव शिन्दे: मैं बिल्कुल उधर नहीं देख रहा हूं। मैं तो आप की तरफ देखकर बोल रहा हूं क्योंकि आप ज्ञानी हैं। होम मिनिस्ट्री में आप का पूरा अनुभव है। उपसभाध्यक्ष जी, एक पाटिल नाम के मजिस्ट्रेट है बांद्रा में जहां कि बाला साहेब ठाकरे रहते हैं। बाला साहेब ठाकरे पर जो केसेज किए गए थे, उन केसेस को विद्ड्रा करने के लिए सरकार ने एप्लीकेशन दी थी, लेकिन उस मजिस्ट्रेट ने बोला कि मैं विद्ड्रा नहीं करूंगा।

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra): Sir, I am not on a point of order. The matter is *sub judice*. Can we discuss it here?

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, किसी पार्टी के नेता का नाम नहीं लीजिए। जो लोग अनुपस्थित होते हैं हम ज्यादातर उन का नाम नहीं लेते हैं।

SHRI SUSHILKUMAR SAMBHAJIRAO SHINDE: I am not going into the merits of the case. यह सब तो पेपर में आ गया है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। यह सब पेपर में आ गया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, आप अपनी बात कहिए और यह कहिए कि एक पार्टी के नेता हैं। ...(**व्यवधान**)... आप तो अनुभवी हैं।

श्री सुशील संभाजीराव शिन्दे: सर, वहां जो शिव-सेना का क्राउड खड़ा था वह मजिस्ट्रेट से कह रहा था—जो हमसे टकराएगा वह मिट्टी में मिल जाएगा। जुडीशियरी के लिए यह आवाज। एक कोरोनर दूसरा मजिस्ट्रेट और तीसरा, उपाध्यक्ष जी, मैं क्या बताऊं आपको कि कानून अपने हाथ में लेकर कैसे काम होता है। मैं क्रोनोलोजिकल बताना चाहता हूं, इस रेफरेन्स में यह बताना चाहता हूं कि होम मिनिस्टर भारत सरकार के 15 और 16 तारीख को महाराष्ट्र में, बम्बई में थे, उस दिन मिस्टर सरमलकर नाम के एक विधायक लीलावती हास्पीटल में सुप्रीटेण्डेंट से मिलने के लिए ट्रेड यूनियन का एक मोर्चा लेकर गए और वहां उन्होंने उनके मुंह पर काला लगाया, उनको वहां पीटा। शिवसेना के एक विधायक हैं यह।

सर, आपने भी उस होम मिनिस्टरी में काम किया है, तो जब होम मिनिस्टर भारत सरकार का भी डर नहीं है तो यह क्या है? फासिज्म, हुकुमशाही! ...(**व्यवधान**)...

एक माननीय सदस्य: जंगल राज। ...(**व्यवधान**)...

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: उपसभाध्यक्ष जी, यह ऐसी शर्मनाक बात है, भारत सरकार का होम मिनिस्टर बंबई आता है इन्कवायरी करने के लिए और उसी दिन सुबह ही यह घटना होती है। क्या-क्या नहीं हो गया इस रेफरेन्स में। दूसरे दिन भुजबल जी, जो हमारे लीडर आफ द अपोजीशन है और पीचर जी, जो हमारे नेता हैं, उनके घरों पर शिवसेना के नेता एक मोर्चा लेकर चले गए। यह मंत्रालय के सामने उनके घर हैं और जहां पांच लोगों से ज्यादा के जाने के लिए बाम्बे पुलिस एक्ट से मनाही है। उस दिन संडे था और यह तीन हजार का हुजूम लीडर आफ द अपोजीशन भुजबल जी और पीचर जी के घर जाता है। उनके बंगले की पूरी तोड़-फोड़ करता है। बेचारे भुजबल जी तो सेलुलर स पुलिस कमीश्नर को फोन करके बच गए, नहीं तो वह कभी बच नहीं सकते थे और वही हालत हमारे पीचर साहब के साथ हुई। वहां से निकलकर यह हुजूम पीचर साहब के बंगले पहुंचा, जो नजदीक ही है, वहां उनके दरवाजे तोड़े जा रहे थे। पीछे से यह गए, लेकिन उतने में ज्यादा पुलिस आने की वजह से वह बच गए। स्टेटमेंट क्या आता है ठाकरे जी का? यह कि—अच्छा हो गया, यह किया हमारे लोगों ने। जो ऐसा करते हैं उनको वैसा ही, टिट फोर टेट मिलना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, यह 11 तारीख को हत्या हो गई दलितों की, 13 तारीख को यह अटैक होता है उनके घरों पर, लीडर आफ अपोजीशन और इनके घर पर। यह किसलिए अटैक होता है? अटैक इसलिए हो गया, यह मेरा दावा है, मैं एन्लीगेशन लगाना चाहता हूं, कि यह अटैक इसलिए हो गया कि दलितों की जो हत्या हुई उसका लक्ष्य डायवर्ट हो जाए और यह लक्ष्य पूरा भुजबल साहब की तरफ और उधर चला जाय, जिससे दलित वर्ग की चर्चा न हो जाए। मैं उस दिन कह रहा था—"हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वह कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती"। चर्चा होती है तो दूसरे की, लेकिन जो दलित मर गए, जो मारे गए, उनकी चर्चा नहीं होती। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता

हूं कि आपने इसको नियम 167 के जरिए स्वीकार कर चर्चा का अवसर दिया। मैं समझता हूं कि जिस तरह से यह हत्या हो गई है, उस हत्या के लक्ष्य से दूसरी तरफ ध्यान हटाने के लिए यह काम शिवसेना-बीजेपी सरकार ने किया है। यह समझने की बात है। क्यों डाईवर्ट हो गया यह सब? उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के होम मिनिस्टर साहब वहां गए, उन्होंने इंक्वायरी की। मैं उस इंक्वायरी की डिटेल में नहीं जा रहा हूं। जो प्वाइंट्स है, मैं वह बताना चाहता हूं।

> "The Home Minister, Government of India Shri Inderajit Gupta in his press conference at Mumbai on 16th July 1997 had to say that nobody except the Police say that the firing was justifiable. The Home Minister clearly announced that every delegation and every resident whosoever met him said that the firing cannot be justified except the police.

ये भारत सरकार के होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब भुजबल जी के घर पर अटैक हो गया, उसके बाद बाल ठाकरे जी ने एक स्टेटमेंट दिया। उसके बाद होम मिनिस्टर साहब बंबई में आते हैं। होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इकट्ठा बैठते हैं क्योंकि उनको डर था कि कहीं डिस्ॉल्व न कर दें, कहीं सरकार को बरखास्त न कर दें। इसलिए "टिट फॉर टेट" का जो स्टेटमेंट दिया गया था बाल ठाकरे जी की ओर से, उन्होंने दूसरे दिन वह स्टेटमेंट चेंज कर दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): जो अनुपस्थित है, आप उनका नाम बार-बार मत लीजिए। आप अपनी बात कहिए।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: किसने कहा, वह तो बताना चाहिए ना ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप अपनी बात जारी रखिए।

श्री मोहम्मद सलीम: ये होम मिनिस्टर तो केन्द्र के थे। महाराष्ट्र में भी तो कोई होम मिनिस्टर है या नहीं?

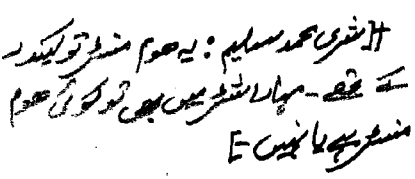

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): उनको बोलने दीजिए, उनका ध्यान बंट जाता है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: महाराष्ट्र में जो है वह फासिज्म वाली पुलिस है। वहां नैक्सस है सरकार और पुलिस का।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप उनको उत्तर दे रहे हैं या चेयर को संबोधित कर रहे हैं?

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: कभी-कभी अटेंशन डाईवर्ट होती है तो मुझे कहना पड़ता है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह स्टेटमेंट क्यों बदल दिया गया। क्या भारत सरकार का डॉयरेक्शन उनको मिल गया कि आप अपनी स्टेटमेंट बदलिए? जिन लोगों की हत्याएं हुई हैं उनके परिवारवालों के मन में आज भी यह शंका है कि ऐसा कैसे हो गया? एक दिन एक स्टेटमेंट आता है और दूसरे दिन जब होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और बाल ठाकरे मिलते हैं तो दूसरा स्टेटमेंट आ जाता है। हम क्या समझें इसका मतलब? उस स्टेटमेंट का रिकार्ड लिया जाए तो एक क्लियरकट केस हो जाता है धारा 356 के इस्तेमाल का। उससे बचने के लिए उन्होंने फिर अपना स्टेटमेंट बदल दिया है, यह मेरा उन पर आरोप है। सरकार बरखास्त करने के लिए जो सरकमस्टांसेज और जो क्राईटीरिया है, उससे बचने के लिए उन्होंने अपना स्टेटमेंट बदल दिया है।

महोदय, केवल इतना ही नहीं हुआ है, ऐट्रोसिटीज़ के केसेज इतने हो गए हैं कि क्या बताएं। वहां एक हैफकिन इंस्टीट्यूट है। वहां के जो मैनेजिंग डॉयरेक्टर हैं, वे सुन नहीं सकते। उनके मुंह को कालिख लगाई गई। कितने ही लोगों के मुंह को कालिख पोतकर एक साल में वहां इतनी दहशत फैलाई गई है कि उसी से पता चलता है कि वहां राज किसका चलता है डेमोक्रेसी का चलता है क्या? अगर डेमोक्रेसी चलानी है तो डेमोक्रेटिक वेज और मीन्स से वह सरकार चलनी चाहिए। लेकिन हम जो कहते हैं, वही होना चाहिए, इस तरह की सरकार वहां चल रही है। मैं तो क्लियरकट कहता हूं कि ये दलितों की हत्याएं ऐसा उदाहरण है जिससे मालूम होता है कि महाराष्ट्र में दलितों के लिए कोई स्थान नहीं है। 6 महीने पहले एक सर्क्यूलर निकला था पहली से चौथी तक के जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए यूनिफार्म बनाने का, दलितों के लिए यूनिफार्म बनाने का। कैसा यूनिफार्म? नीली यूनिफार्म बनाना चाहिए। यह क्यों?

आज दूसरे बच्चों को खाकी यूनिफार्म और सफेद टी शर्ट देते हो और इनके लिए नीली, ताकि वह आइडेंटिफाई हों कि वह दलित है। जब हेजिटेशन पूरा हो गया तब बिट्ट्रो करा दिया। मेरे पास उसकी कॉपी भी है। भारत सरकार ने कहीं करोड़ों का पैसा दे दिया दलितों की उन्नति के लिए। लेकिन कितना मिला आदिवासी को, कितना मिला दलितों को। आज उनकी फाइनेंसियल पोजिशन ठीक नहीं है, वह अच्छे तरीके से मेनेज नहीं कर सकते हैं। पगार देने के लिए, मंथली पेमेंट देने के लिए वह पैसा डाइवर्ट होता है। यह भी एक एट्रोसिटी है। जब हम एक स्कीम देते हैं दलितों के लिए तो उसकी जीवन प्रणाली को नहीं सुधार सकते हो तो यह एट्रोसिटी हो सकती है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं अभी कितना क्या-क्या बताऊं इन लोगों का।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): समय का ध्यान रखते हुए और दूसरे जो हैं आपके साथ।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: भारत सरकार से हम यही एक वायदा करते हैं और हम वायदा चाहते हैं कि यह जो दलितों पर एट्रोसिटीज हो रही हैं, मैं एक और इंसीडेंस बताना चाहता हूं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद में जिसे शंभाजी नगर कहते हैं वहां मराठवाड़ा में डा० बाबा साहेब अम्बेडकर की यूनिवर्सिटी है—मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी। वहां बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम हो गया। इस तरह का एक बड़ा मूवमेंट चला और उसके बाद कुछ एट्रोसिटीज के केसेज हो गए। 1100 केसेज हो गए थे, दलितों ने किए थे सिविल राईट पर। सरकार आ गई थी शिव सेना और बी०जे०पी० की। चार महीने के अंदर सभी केसेज वापिस ले लिए।

श्री संजय निरूपम (महाराष्ट्र): उसमें आधे से ज्यादा फर्जी केसेज थे और जब फर्जी थे तो वापिस लिए जाने चाहिए थे।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): बोलने दीजिए इनको ...(व्यवधान)

श्री वसीम अहमद (उत्तर प्रदेश): आप उनको भी मना करो।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): मैं सबको मना कर रहा हूं। आप अभी तशरीफ लाए हैं। पहले से मना कर रहा हूं। आपकी जानकारी बहुत पीछे की है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: उपसभाध्यक्ष जी, केसेज फर्जी हैं, कोर्ट तो डिसीजन दे दें। आप क्यों अपने हाथ में ले लेते हैं। यही प्रूव होता है कि आप फासिस्ट हैं। यही प्रूव होता है कि आप हुकमशाह हैं। कोर्ट में प्रूव होने दो अगर वह फर्जी है। लेकिन वह हिम्मत आप में नहीं है। आप डर गए थे कि वह सब अरेस्ट हो जाएंगे।

श्री संजय निरूपम: लोगों पर गोलियां चलाई।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): शिन्दे जी, आपका समाप्त करने का समय आ रहा है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: गोली नहीं चलाई वह स्टेम्पेड हो गया। उपसभाध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि यूथ कांग्रेस का एक मोर्चा निकला नागपुर में। हमारे एक विधायक है अनीश अहमद, उन्होंने एक मोर्चा निकाला। वह-महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के प्रेजीडेंट हैं। यह किसके लिए मोर्चा निकला-युवकों को रोजी-रोटी देने के लिए निकला। उन पर लाठी चार्ज हो गया और उनके पैर तोड़ दिए। वह हॉस्पिटल में है आज। दूसरे विधायक पूना से अपनी शुगर फैक्टरी के इलेक्शन का प्रचार करके आ रहे थे और शिव सेना के 8-10 लोग उनको रास्ते में मिले और उनको मार दे दी। वह भी इंजर्ड हो गए एम०एल०ए० इंजर्ड। जर्नलिस्ट इंजर्ड। उनको धमकी देते हैं।

मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश उनके भी अगेंस्ट और अभी तो एक पुलिस अफसर, न्याय नहीं मिलता है, ऐसा कहकर वह रैज़ीग्रेशन देकर चला गया। इस तरह से महाराष्ट्र में अत्याचार इस सीमा तक बढ़ गया है। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने इसके लिए, यह नहीं होना चाहिए, कहकर, मूर्ति को खंडित नहीं करना चाहिए, बड़े नेता के नाम से कुछ भी गलत बातें नहीं होनी चाहिए, मैंने इस सदन में दो प्राइवेट मैम्बर्स बिल दे दिये थे। आज कई साल हो गये हैं, लेकिन वह बिल नहीं आए हैं—एक तो प्रीवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर का बिल है और दूसरा कांस्टीट्यूशनल अमैंडमेंट-19 का बिल है। जब भी कहीं कोई नया दल उभरकर आता है तब कहीं महात्मा गांधी जी के नाम से खराबी कर देते हैं, कहीं डा० बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से खराबी कर देते हैं और कहीं दूसरे नेताओं के नाम से खराबी कर देते हैं। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए और प्रॉपर पनिशमेंट देने के लिए मैं दो बिल लाया था और वह बिल अभी तक नहीं आए हैं। क्यों हमारे दलित बार-बार मरते हैं और क्यों मारे जाते हैं, इसका कोई संशोधन होगा कि नहीं? दलितों के साथ जानवर जैसा व्यवहार करते थे—सो कास्ट हाईऐस्ट क्लॉस, मैं हिन्दू नहीं बोलूंगा मैं हाईऐस्ट क्लास कहूंगा?

बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों धर्मान्तर किया, क्योंकि अनटचेबल्स का अनुभव उनका हो गया था, अस्पृश्यता का अनुभव उन्होंने किया था। उन्होंने कहा था कि मैं जन्म से हिन्दू हूं लेकिन जब मैं मरूंगा तब मैं हिन्दू नहीं हूं। उसके लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। आज भी आंखें नहीं खुलती है हिन्दु धर्म के संस्थापकों की, हिन्दु धर्म का समर्थन करने वालों की, हिन्दू धर्म का प्रोटैक्शन करने वालों की, तो हम क्या समझेंगे? जब कहीं झारखंड की मांग होती है, कहीं और दूसरी मांग होती है तब क्या इस देश में रहकर हम एक अलग दलित स्थान की मांग करें? हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। भारतवर्ष में प्रजातंत्र में हम रहना चाहते हैं। इंसानियत के रास्ते से इंसान बनकर हमें यहां रहने दोगे कि नहीं? उपसभाध्यक्ष महोदय, जब तक सरकार से प्रोटैक्शन नहीं मिल सकेगा, यह तब तक होता रहेगा? हमारे रिबेरो साहब जो पुलिस कमिश्नर ऑफ मुम्बई थे, जो डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस पंजाब में थे, उन्होंने मराठी में लिखा है कि क्या हो गया है मुम्बई की पुलिस को? जो मुम्बई की पुलिस की एक गरिमा थी, वह आज नष्ट हो गयी है। एक वक्त था कि सरकार का या किसी मंत्री का भी लड़का अगर किसी गलत कानून में फंस जाता तो उसे कभी भी नहीं छोड़ा जाता था लेकिन अब पूरा नैक्सस हो गया है और उसकी वजह से रिबेरो जैसे पुलिस अफसर को यह कहना पड़ा है...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): 40 मिनट हो गये हैं।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिंदे: महोदय, रिबेरो जैसे पुलिस अफसर को यह कहना पड़ा। जो पुलिस हमारे लिए गरिमा की बात थी वह पुलिस आज सरकार के नैक्सस में जाकर बैठी है। उपसभाध्यक्ष महोदय, जब पुलिस, सरकार और फासिस्ट विचारों की सरकार इकट्ठा हो जाएगी तो हम कहां जाएंगे? इसलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहता हूं कि एक ही रास्ता है उनको ठीक करने का कि उस पर यह सरकार खास ध्यान दें। पूरे दलित वर्ग की मांग है कि जब इस तरह का इंसीडेंट होता है तो किसी को फायरिंग करने से पहले ऐलर्ट नहीं किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि वहां टैंकर खड़े थे, मैंने मैप मंगाया है, जहां फायरिंग हुई बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू के नजदीक, उसके बाद रोड क्रास करके हाइवे क्रास करना पड़ता है। राइट में जाने वाले, थाना की तरफ जाने वाले टैंकर और बम्बई की तरफ जाने वाले रोड के पहले, अंदर, डा० बाबा साहब अम्बेडर का स्टैचू है।

रोड़ पर आए तो वहां कुछ निशान होना चाहिए। उस स्टेच्यू के नजदीक उनकी हत्या हो गयी। पुलिस का पहला कर्तव्य यह होता है — टैंकर में गैस भरी होती तो कोई भी ड्राइवर ऐसा नहीं होगा जो गैस भरे टैंकर को वहां खड़ा करें। वह उसको भगाकर ले जाएगा क्योंकि उसको पता है कि यह इनफ्लेमेबल है। क्या कार्डन करने का काम पुलिस का नहीं था? उस टैंकर को कार्डन करने का काम उसका नहीं था? जो प्रिलिमरी बातें हैं वह पुलिस ने नहीं की। लेकिन वहां की बेचारी पुलिस क्या कर सकती है? भुजबल जी के घर पर जब हल्ला हो रहा था तो पुलिस हाथ जोड़कर कह रही थी कि यह मत करिए। पुलिस का जिस ढंग से अपना रुआब होना चाहिए, लोगों को जिस ढंग से उससे डरना चाहिए वैसी कोई बात नहीं थी। वह राज्य सत्ता की प्रतिनिधि है। लेकिन यहां पुलिस हाथ जोड़ रही थी उनको जो हल्ला करने वाले थे कि हल्ला मत कीजिए। यह तो मैं समझ सकता हूं कि महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम ब्रिटिश शासन काल में अहिंसा के रास्ते पर चले लेकिन वहां की पुलिस कब से अहिंसा के मार्ग पर जा रही है, इसका मुझे पता नहीं है। जिस गरिमा के साथ हम मुंबई पुलिस का नाम लेते थे अब उसकी वह गरिमा खत्म हो गई है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस विषय पर किसी को एरीटेट नहीं करना चाहता हूं। न शिव सेना को एरीटेट करना चाहता हूं और न बी०जे०पी० को करना चाहता हूं।

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): करना चाहिए। जरूरी है।

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: मैं उनको मौका देता हूं कि वे इंट्रोस्पेट करें, आत्म-चिंतन करें कि यह क्या हुआ और उनको खुद यह बोलना चाहिए कि हम से यह गलती हो गई है और हम सत्ता का त्याग करते हैं। अटल बिहारी बाजपेयी जी ने, जब मैं पार्लियामेंट में उनका भाषण सुन रहा था, तो उन्होंने कहा था, 11 दिन के बाद बारहवें दिन जब वे सत्ता से जा रहे थे तब उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि हमारे साथ जनता के प्रतिनिधि ज्यादा मेजोरिटी में हों जो नहीं है, इसलिए उनके सामने हम झुकते हैं और सत्ता का त्याग करते हैं। हम कहते हैं कि आप इस सिद्धांत के लोग हो, इस विचार के लोग हो, राम का नाम लेकर काम करने वाले सत्य-वचनी, आप लोग हो। आपके पास मौका है कि आप कहें कि हमारे से गलती हो गई है जो दलितों की हत्या हमने की है और हम सत्ता का त्याग करते हैं। इससे आप उस राम के नाम को सामर्थ्यवान बनायेंगे, जिस राम की सत्यता के रास्ते पर चलने का

आप वायदा करते हैं। क्या उस सत्यता के रास्ते पर आप चलना चाहेंगे? अगर आप दलितों को अभयदान देना चाहते हैं तो यह काम करें। आप इन्क्वायरी करें। अगर आप यह नहीं मानते हैं तो भारत सरकार के हाथ में सब कुछ है। डा० अम्बेडकर का संविधान सरकार के हाथ में है, सरकार उसका उपयोग करें और वह इस सरकार को बर्खास्त करे। जय हिन्द।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): प्रो० राम काप्से। आपने राम का नाम लिया और जब राम काप्से जी बोलेंगे।

PROF. RAM KAPSE (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I heard the speech of Shri Sushilkumar Sambhajirao Shindeji for the last 45 minutes, but I would like to remind him now that the discussion is on a very different subject. The Short Duration Discussion which was raised by Shri Hanumanthappa, Shri Sushilkumar Sambhajirao Shinde and others was on the police firing on Dalits in Mumbai and atrocities committed on them in other parts of Maharashtra. Almost for 30 minutes, Mr. Shinde did not refer to any incident in Mumbai or Maharashtra ....*(Interruptions)*... So, the background material was much more than the actual fact. That I would just remind him.

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Let it come from the horse's mouth.

श्री सुशील कुमार संभाजीराव शिन्दे: हम वही चाहते हैं, आप बोलिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): उनको बोलने दीजिए।

PROF. RAM KAPSE: So, I would stick to the incident of 11th July and whatever happened afterwards, and then reply to some observations made by Shri Sushilkumar Sambhajirao Shinde ...*(Interruptions)*...

SHRI MD. SALIM: Reply! You have to listen to him.

AN HON. MEMBER: The reply will come from the Government.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): ठीक है जो भी है। सब की अपनी अपनी भाषा है।

PROF. RAM KAPSE: About the incident of 11th July, I would like to place on record that this incident was unfortunate. The desecration of Baba Saheb Ambedkar's statue and whatever incidents followed, especially, the police firing in which ten people died on the spot, all these are unfortunate things. I pay my homage to the victims. Here let us take the two versions which are produced before us; one is the police version and the other version of the incident given is by some political leaders. The police version is that at 6.30, one Dr. Ahira who stayed at Ramabai Nagar went to the police chowki and reported to the police ....*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप बोलिये। उनको बाद में बोलना है **(व्यवधान)**

PROF. RAM KAPSE: He told the police that a garland of chappals was on the statue of Dr. Baba Saheb Ambedkar. The police immediately rushed to the spot. They went there and tried to remove the garland. There was a mob of about one thousand people. Dr. Ahira was also there. All of them objected to him and did not allow the garland to be removed. Then the police inspector came. Even at that time it was not allowed to be removed. Ultimately, the ACP of the area, one Mr. More, came at 7.10 and then the garland was removed. This is the chronology given by the police. If it had not been objected to immediately, the garland would have been removed. Then the police says that a mob of five thousand people rushed to the Express Highway and started the *rasta roko*. Whatever happens in Maharashtra, as far as Dalits are concerned, immediately *rasta roko* takes place on this Express Highway. Similarly, it was also taking place on that day also. The mob was rowdy. They started throwing stones at the police. They started putting buses on fire. At that

juncture one SRP platoon led by Mr. Kadamb came on the spot. First they tried lathicharge, then firing in the air and ultimately when the mob was not allowing the people to come down from the luxury bus they resorted to firing.

AN HON. MEMBER: Whose version is it? ...*(Interruptions)*...

PROF. RAM KAPSE: It is the police version. I will give other versions also ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप बीच में हस्तक्षेप मत करिये। (व्यवधान) वह पहले बता चुके हैं आप अपनी बात कहिये ओर इधर देखिये। (व्यवधान)

PROF. RAM KAPSE: Ultimately, they resorted to firing because the mob was trying to take the bus towards a gas tanker.

कुमारी सरोज खापर्डे: वह तो सारे खाली टेंकर थे भाई।

PROF. RAM KAPSE: I will reply to every point. ...*(Interruptions)*...At that time the bus was running. ...*(Interruptions)*... They were taking the bus towards as gas tanker. Therefore, the police resorted to firing. This is the police version. The objections to this version, just as raised here, were raised earlier also.

Why were the gas-tankers standing there? Were they empty? — as Miss Khaparde now intervened and asked 'whether they were empty.' Such versions have come from different political leaders. The reply from the police is, they have got a certificate ...*(interruptions)*... I will come to that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Please, allow him to speak ....*(interruptions)*...

PROF. RAM KAPSE: If they are kept before the House, they will help us. Sir, these are two different versions.

SHRI MD. SALIM: Sir, he is mentioning the police version. What about the public version?

PROF. RAM KAPSE: So, different versions have come before the House. At the same time, the oil companies have given a certificate to the police that those five tankers contained this much gas, diesel and petrol. This was given by the oil companies and now it is up to the Commission which has been instituted by the Maharashtra Government to decide in the matter and let us wait till the Commission of Inquiry gives its report. I would neither accept the police version nor the version give by some leaders. I would only say that this was an unfortunate incident and at the same time, we will have to wait till the Commission submits its version.

Sir, as far as the Commission is concerned, it was a demand by the Congress itself in Maharashtra Assembly and Council. Then, our hon. Minister, Mr. Paswan, went to Mumbai first and asked for a time-bound Commission. The Maharashtra Government has accepted that demand and the Commission will have to submit its report within two months' time. The matter was discussed with Mr. Indrajit Gupta, hon. Home Minister and Mr. Ram Vilas Paswan, hon. Railway Minister. Whatever suggestions were made by them were accepted by the Government of Maharashtra. Sir, these are the terms of reference: (i) Whether any individual or group of individuals or organisation was responsible for the desecration of the statue of Dr. Babasaheb Ambedkar and whether it was planned with a view to cause communal disturbance. (ii) Whether the public reaction towards the incident was spontaneous or instigated by any individual or group of individuals or organisation. (iii) Whether the steps taken by the police to deal with the large crowd and to disperse it were adequate in accordance with the procedure established for riot control or if the force used was excessive and if so, to fix the

responsibility for such lapses, if any. (iv) Whether the use of force, including firing, was justified or otherwise; measures general or specific which are required to be taken by the police and the administration to avoid such occurrence in future. And lastly, any other matter of general importance regarding the above. These are the term of reference. This is a time-bound Commission. A suggestion was made by Shri Ram Vilas Paswan that it should be inquired into by a sitting judge. Even this suggestion has been accepted by the Maharashtra Government. So, whatever was expected by the Congress leaders in Maharashtra Assembly and Council, Shri Ram Vilas Paswan and Shri Indrajit Gupta has been accepted and we are waiting for the Commission's report. I think, it would be wise on our part to wait till the report comes.

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Would you please answer why this kind of chappal garlanding takes place in Maharastra alone? I want to know why it happend there only.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप अपनी बात करिए।

PROF. RAM KAPSE: Actually, for years together this had been going on. As far as Dr. Ambedkar's statue's desecration, Chatrapati Shivaji Maharaj's statue desecration and Hindu gods' and goddesses desecration is concerned, these are the figures in Maharashtra and these are authentic figures.

In 1992 when the Congress Government was there ...*(Interruptions)*...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री (उत्तर प्रदेश): सच्ची बात तो सुन नहीं सकते। ...**(व्यवधान)**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Please don't interrupt ...*(Interruptions)*... Let him have his say.

PROF. RAM KAPSE: In 1992 when Maharashtra Government was led by Mr. Sharad Pawar, it was 47. In 1993 it was 32. In 1994 it was 71. In 1995 — in the month of March we came to power — it was 69 ...*(Interruptions)*...

THE VICE CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): Please sit down. You will have your chance. Please sit down. Let the proceedings go on.

श्री वसीम अहमद: अगर उधर से इंटरवेंशन हो तो पूरी आजादी है? ...**(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वसीम साहब, मैं समझता हूं कि ऐसी बात नहीं करनी चाहिएह। ...(व्यवधान) यह हाउस जानता है ...**(व्यवधान)** शास्त्री जी, आप बैठे। देखिए, उनको बोलने दीजिए। दवे जी, उनको बोलने दीजिए।

PROF. RAM KAPSE: These figures, which are authentic figures, show that the number of incidents has come down during our *raj*. If at all it was happening, it was happening for the last ten years and, it has come down.

AN HON. MEMBER: These figures are not correct.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वह अपनी-अपनी इंटरप्रेटेशन है, आप क्यों ...**(व्यवधान)** आप अपनी दूसरी बात कह दीजिए आप बात को बता दीजिएगा, मुस्तफा साहब ...**(व्यवधान)** अब वह अपने ढंग से बता रहे हैं फैकच्युअली आप जो भी हो ...**(व्यवधान)** उसमें जल्दी आपका भी मौका आएगा। ...**(व्यवधान)**

PROF. RAM KAPSE: In 1995 it was 69. In 1996 it was 45. In the last six months it was 22. The figures show that it has come down. Then, it is not a coincidence that every time whenever the Legislative Assembly or the Legislative Council is in session the same thing happens again and again. I will quote the dates also. In 1995 on 15.12.1995 in Nanded district at village Kiwra, Chatarpati Shivaji Maharaj's statue ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): यह जस्टीफिकेशन का सवाल नहीं है। उन्हें बोलने दीजिए। वह अपनी बात कहते हैं ...**(व्यवधान)** वह अपनी बात कहेंगे।... **(व्यवधान)** वह अपना कन्क्लूज़न निकालेंगे और आप अपना कन्क्लूज़न निकालिए।

...(व्यवधान) आप बैठिए। ...(व्यवधान) प्लीज़, टेक यूअर सीट। ...(व्यवधान) आप बैठिए। बैठिए। प्लीज़ टेक यूअर सीट।...(व्यवधान) प्रधान जी, आप बैठिए। देखिए आपस में इस तरह से मत करिए। ...(व्यवधान) नहीं, आप भी बैठिए।...(व्यवधान) आपका नाम है। आपका नाम है इधर, आप बैठिए।...(व्यवधान)

SHRI MD. SALIM: What do you want to prove?

जस्टीफिकेशन देना चाहिए...(व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): कोई जस्टीफिकेशन का सवाल नहीं है। देखिए, आप किसी के मुंह में...(व्यवधान) आप काफी सीनियर हैं, आप सीनियर मैंबर हैं। आप किसी के मुंह में कुछ नहीं कह सकते कि वह उस तरह का कन्क्लूज़न रखे।...(व्यवधान) वह इस तरह का एक कनक्लूज़न रखें। वह अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। ...(व्यवधान)... आप धैर्य रखिए और उन को सुनिए और वह धैर्य रखें जब आप अपनी बात कहें। ...(व्यवधान)...

श्री मोहम्मद सलीम: उपसभाध्यक्ष जी, मैं उन 11 लोगों के घरों पर गया था जोकि इस घटना में मारे गए हैं ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप उस के लिए टाइम मांगिए। निरुपम जी, बैठिए। ...(व्यवधान)... प्रधान जी, बैठिए। ...(व्यवधान)...

No interruptions would go on record. *(Interruptions)*

PROF. RAM KAPSE: Sir, on 16th March, 1997, at Srirampur, in Ahmednagar District, again, a desecration took place. The Assembly was in session from 17th March, 1997, to 27th April, 1997. On 8th April, 1997, at Malegaon, the same thing happened. On 10th April, 1997, at Nathara, Taluk Pareli, District Bheed, the same thing happened. On 23rd April, 1997, at Malegaon, in Nanded District, Chhatrapati Shivaji Maharaj's statue was desecrated.

This is what has been happening during the last two-three years. Everytime there is a Session going on, these things happen. Therefore, either the ISI ...*(Interruptions)*

SHRI GOVINDRAO ADIK (Maharashtra): This shows that the Government is so inefficient that it is unable to control the situation in the state. *(Interruptions)* There is no law and order in Maharashtra. You have yourself admitted. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TRILOKI NATH CHATURVEDI): I am afraid, interruptions would not go on record if things go on like this. *(Interruptions)*

PROF. RAM KAPSE: Sir, there is every possibility that the ISI cadre is working in this direction. I agree with the Editor of 'Hindustan Times' who had, in an editorial on 14th July, said... *(Interruptions)*

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वसीम साहब, बैठिए ...(व्यवधान)... मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि आप समय का दुरुपयोग न करें। आप अपनी बात कहें। ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्दराव आदिक (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष जी, मैं आप के माध्यम से कापसे जी से पूछना चाहता हूं कि...

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): वह आप बाद में पूछ लीजिए। ...(व्यवधान)... बैठिए। प्रधान जी, बैठिए।

श्री गोविन्दराव आदिक: इन्होंने अभी तक कितने लोगों को पकड़ा है। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर कहां रहा है? ...(व्यवधान)...

विपक्ष के नेता (श्री सिकन्दर बख्त): सदर साहब, मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है, ब-दस्त दरखास्त करना चाहता हूं मैं यह, कि इनके अगर एतराजात जायज भी हैं, जरूर कहें, लेकिन जो कुछ वह कहना चाहते हैं वह आपसे पूछकर तो नहीं कहेंगे। वह बात अपनी ही कहेंगे। वह यह क्यों नहीं कहते? अभी तो उन्होंने अपना भाषण खत्म ही नहीं किया है। उनको भाषण खत्म करने का मौका दीजिए, उसके बाद कहिएगा कि आपने उसका जिक्र नहीं किया। आप भाषण के बीच में खड़े होते हैं और कोशिश यह होती है आपकी कि वह वही बात कहें जो आप सुनना चाहते हैं। वह वहां भी आएंगे, लेकिन मेहरबानी से सुनिए। यह नाजुक मसला है। इस मसले को उलझाने की कोशिश करने के बजाए सुलझाइए।

आप बेशक अपनी बात कहिए, इलजामात लगाइए, जो कुछ लगाना है आपको, लेकिन उनकी बातों में यह रोका-टोकी करना कि वह यह कहें, उचित नहीं लगता। जब उनका भाषण खतम हो जाए तो आखिर में उनसे पूछिएगा, क्या कहा, क्या नहीं कहा। ...(व्यवधान)

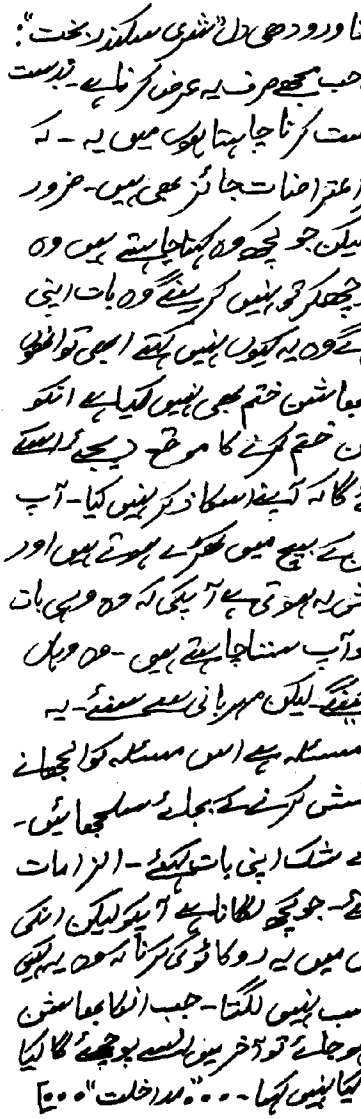

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): नहीं, पूछने का नहीं है। देखिए, आपको जो भी कहना है, वह आपकी पार्टी के लिए जो समय मिला है उसमें आप कह दीजिएगा। वह प्रोफेसर हैं, अपनी बात अपने ढंग से रखते हैं और अपनी भावना के अनुसार रख रहे हैं। अलग अलग ढंग होता है बात रखने का। आप क्यों उसमें इण्टरप्ट कर रहे हैं। ...(व्यवधान)...

PROF. RAM KAPSE: I agree with the Editor of "THE HINDUSTAN TIMES", whose editorial on the 14th of July says, and I quote:

> "The easiest thing for a force like Pakistan's ISI to destabilise the Indian State, will be to target the Ambedkar's statue and watch eruptions of popular agitation."

Now, in between, a question was asked by a Member of Parliament who originally hails from Ahmednagar, whether anybody who has done this, was arrested. I want to tell Mr. Govindrao Adik that in his own district at Srirampur a person who was responsible, was arrested immediately. He should try to know the facts from his district itself.

Then, so many things were said.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): प्लीज, आप अपनी बात कहिए, सवालों के जवाब मत दीजिए। आपको जो कहना है इस विषय पर, वही बात आप रखिए। उनके सवालों को छोड़ दीजिए। ...(व्यवधान)... Please. please let Prof. Kapse continue.

PROF. RAM KAPSE: Mr. Sushilkumar Shinde referred to the atrocities on Dalits. He just referred to them. I want to tell him that during the last two-and-a-half years of the Congress *raj*, the figure of such incidents was 1,600, but in the last 30 months it was only 75.

The same thing is with the communal riots. During the last two-and-a-half years of Mr. Sharad Pawar's regime, the number was 576, but now it is 20.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप बहुत कह चुके शिन्दे साहब, अब उन्हें बोलने दीजिए।

PROF. RAM KAPSE: If at all, the figures of riots and other things show that it is a better *raj* than the Congress *raj* of the last two-and-a-half year when you were not there.

(Interruptions)

These are official figures. You can challenge them. I am prepared for it.

उपसभाध्यक्ष (श्री त्रिलोकी नाथ चतुर्वेदी): आप अपने समय का ध्यान रखते हुए अपनी बात कन्टीन्यू करिए।

PROF. RAM KAPSE: So, with all these figures, with all these incidents, I want to ask: is this an incident worth invocation of Article 356? That is my question.

One Sub-Inspector did something. It may be a wrong act, and the Commission will decide about it. For that reason, will invocation of Article 356 be correct? That is my real question.

It was not a Dalit or anti-Dalit riot. Within four days the State came to normalcy. So, nothing has happened. There is absolute harmony, absolute peace. The Government of Maharasthra is prepared to accpet the verdict of the Commission. Whosoever is a wrong-doer, will be punished. So, is your demand worth even consideration? That is the real question.

About Riberio's article, I will just request Mr. Sushilkumar Shinde to read to full article because many myths about police firing have been cleared by Mr. Rebeiro. This article is worth reading. I have gone through every word of it.

> What happened in Gujarat? ... *(Interruptions)* I know every word of it. ... *(Interruptions)*

About suspension, if at all suspension of the Maharashtra Assembly is on cards, what about Gujarat? In Gujarat, Congress (I) supports the Vaghela Government. The Congress (I) Party and the party of Mr. Vaghela declared a *bandh*. It was an official *bandh*. During that official *bandh*, the police fired on a procession going from a small village, Keshod in the Junagadh District, and five people died on the spot. In all seven people died there. Shrimati Meira Kumar who is your General Secretary, went to Gujarat and said that it was a law-and-order problem. Is the same demand being made by you about Gujarat also? ..... *(Interruptions)*

[THE VICE CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE) *in the Chair*]

श्री सतीश अग्रवाल (राजस्थान): वह तो कह रहे हैं, उनका लॉजिक है कि सभी बी०जे०पी० गवर्नमेंट्स को डिसमिस करो ...(**व्यवधान**)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): ये आदिक साहब को डिसाइड नहीं करना है, यह पूरे हाऊस को डिसाइड करना है।

PROF. RAM KAPSE: Mr. Sushilkumar Shinde's last observation is about withdrawal of cases. I would put on record what happened in 1994. On 5.2.1994, this order was given to all District magistrates, all Divisional Commissioners and others. Sometimes cases were filed on extraneous considerations. Varying members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes were made use of by the mambers of the *savarna* community to settle their score. The order is that such cases need to be withdrawn. This was done on 5-2-1994 when the Marathwada University was declared as Babasaheb Ambedkar University. This order was given by the Congress Chief Minister. The same order was given during the alliance Government. If the order issued during Sharad Pawar's regime was correct, this order should also be accepted by Mr. Sushilkumar Shinde who is a disciple of Mr. Sharad Pawar.

This much is enough. Thank you very much.

3.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Pillai, I would just like to remind you about one thing. Your party has been given 10 minutes. So, plese try to confine yourself within the time-limit.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Madam, I rise to condemn the massacre of Dalits in Maharashtra. Many were shot dead and many were wounded. This is not an isolated incident that happened about a week back. For the last two and a half years there have been continuous attacks on the Dalits in Maharashtra. There were desecrations of Ambadkar's statue. Deliberate attacks on Dalits were also there. Earlier, months back, there was an attack on triabals in Talasari. Many were shot dead; many were wounded and hundreds were driven away from their houses. This has been going on for the last two and a half years. The Government, which is in power and the political leadership of this Government are responsible for the deliberate attacks on the Dalits in that particular part. Actually the Government knew about the attacks against the Opposition Legislature party leaders. The police knew about it. The attack took place under the very nose of the police force. They could not take any action. They were not moved. Why is the police inactive? Why is the Government inactive? Why are these attacks taking place repeatedly in Maharashtra? The political leadership of that Government is responsible. The Government is responsible for all these attacks.

I don't support the demand for imposition of President's rule. We have been consistently saying that article 356 should be scrapped. But during the last 47 years of experience of running this sort of democracy, there were certain exceptional circumstances under which this article 356 was invoked. The exceptional circumstance was what happened in Uttar Pradesh when the Babri Masjid was demolished. So, if there is any deliberate attack on the very secular fabric of our country by a certain Government, definitely to keep the unity of the country, to keep the unity of the people, the Centre should intervene. If a State Government connives with the secessionist forces for the division of the country, then, definitely the Government should intervene. Only in such a situation the Centre should intervene. So, my question is: Why is the curse of the past, the spectre of the past still haunting our country? We all know the cause of this. Caste is the creation of the past. After sometime it lost all its relevance. The exploited class is trying to maintain these things for exploiting, for suppression and oppression of Dalits. During the Independence strugle period, the Britishers also tried to divide the people for having their rule in our country. But after our Independence we had adopted a Constitution. We had passed many legislations. We had created many institutions in our country to safeguard the interests of these downtrodden, those oppressed and suppressed sections of our society. But still these attacks are going on. They are being exploited. They are being oppressed. They are being suppressed. Madam, there is a deliberate attempt on the part of certain political forces in the country. They are trying to revive the past. That philosophy is creating a situation for attacking these downtrodden people again, these Dalits in our country. Of course, in the past there were many things which we are proud of. But there were many things which we are ashamed of. Many things were decadent. We should try to avoid what were decandent things. We should take up vibrant and live things and these things should be carried forward. But this particular political force in our country characterises whatever things were there in the past as good, and they are trying to revive the past. This is creating a situation in our country for these attacks against the Dalits. There is attack against the minorities in our country. The political philosophy of the BJP, the political philosophy of the Shiv Sena, is mainly responsible for the continuing attacks against the Dalits and the minorities in our country. We also know that there is an awakening, there is a new awareness that is coming, among these exploited sections of our society. Of course, that should unite with the mainstream of the democratic forces. But some sections

minority sections, are trying to make use of this awareness for their narrow political, electoral, gains. That has also created problems for us. What we should do is, this awareness, this new consciousness, should be channelised to the democratic mainstream of the country. There is also another attempt. Some of the imperialist forces do not want the unity of the people in our country. They do not want the unity of the country. So, they are also instigating certain forces, trying to put people against each other, trying to divide the country. That also we must be careful about. When we discuss this issue, we should look into not only these incidents but the situation, the background in which these incidents are happening in our country. We should make a thorough introspection and we should make the necessary corrections in our approaches. If that is not there, this sort of thing will continue. Here, in Maharashtra, this is mainly due to the political propaganda of the Shiv Sena and the BJP and also the connivance of the Government in these attacks against the Dalits. So, I strongly condemn the attack on the Dalits. I ask the Central Government to take appropriate actions.

SHRI N.K.P. SALVE (Maharashtra): What are they?

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: There are many provisions in the Constitution. Look at Article 355. You can send military forces, para-military forces and other forces to safeguard the interests. So, some such provisions .....*(Interruption)*.

SHRI N.K.P. SALVE: Are they appropriate?

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: Let us see that thing. You have not done it. Of course, your panacea is Article 356. But that has not solved the problems. So, we have to look into this question. We have to approach this question in a holistic way and try to find solutions. Actually, in the present political situation, it is the political propaganda of the political leadership and the Government that has created the problem and they should make an introspection and make the necessary corrections. On the administrative side, the Centre should take appropriate measures for protecting the interests of the Dalits and also against the connivance of the Government in leading this massacre of the Dalits. Thank you, Madam.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam Vice-Chairperson, I raise this discussion in this House only to draw the attention of the Government and of the House to the atrocities committed on the Dalits in Maharashtra. Madam, the Constitution-makers, in their wisdom, have given certain rights to the deprived classes of the society. Articles 15, 16, 17, 18, 19, 25, 32, 46, 224, 330, 332, 334, 335, 338, 275 and 275A all these sections give certain rights and privileges to the citizens in general and to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in particular. Whenever an incident takes place, many a time, the subject has been brushed aside as a law and order problem, and the law and order will be a State Subject. Parliament, in its wisdom, not satisfied with the criminal law of the country, while dealing with the incidents against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, deliberately passed two Acts—the Protection of Civil Rights Act and the Prevention of Atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act. These Acts are the Central Acts. The same offences committed under the Indian Penal Code against a Scheduled Caste person by a non-Scheduled Caste person have been classified under the Prevention of Atrocities on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Act and the protection of Civil Rights Act. While implementing these Acts, many a time, the State Governments and the State police do not take proper interest in the matter that is required of them.

Madam, coming straight to the Maharashtra incident, I would like to submit that whenever there are atrocities

on the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, it is the police which has to take action, which has to book the culprits, which has to prosecute them and conduct the proceedings. But here, unfortunately, it is the police which has committed atrocities. That makes us to bring the matter to Parliament and discuss it. If an atrocity is committed by a non-Scheduled Caste person on a Scheduled Caste person, it comes within the Acts. But in the present case, the police has committed the atrocities. My friend, Prof. Ram Kapse, said that it was a rioting mob. So, the police had to resort to firing. I would like to know whether the police has followed the required procedure or not. That is the moot question. I have got a copy of the F.I.R. with me and I would like to read out something from that. "I removed the burning pieces of tyres that had fallen on the tanker and since I had no doubt about the intention of the mob, I decided to resort to firing." This is the copy of the F.I.R. filed by the inspector on the spot. He did not resort to lathi charge. He did not resort to tear gas. He decided to resort to firing straightway. Madam, the Dalits are right in their agitation. The Constitution has given a right to profess any religion or faith to a citizen of this country. If Rama Mandir is a faith, if Babri Masjid is a faith, if Hazrat Bal is a faith, Ambedkar is also a faith for the Dalits. (*Interruptions*)

SHRI SANJAY NIRUPAM: Why is it only for Dalits?

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Sanjay Nirupam, did I allow you to speak? He is expressing his own views in the House. (*Interruptions*) Why are you reacting to those views? Your turn is coming. You can speak at that time. Till that time, don't interrupt like this.

श्री संजय निरूपम: मैडम, हमारा भी विश्वास अम्बेडकर पर है। ....**व्यवधान**)...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: If Prof. Ram Kapse had referred to that faith, I would have accepted his version. But he did not refer to it. I am referring to it. Why are they objecting to it? I repeat. If Rama Mandir is a faith, if Babri Masjid is a faith, if Hazrat Bal is a faith, Ambedkar is also a faith for the Dalits.

श्री संजय निरूपम: हमारा भी विश्वास अम्बेडकर पर है ...**(व्यवधान)**... यह गलत प्रचार हो रहा है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): यह प्रचार गलत नहीं हो रहा है। वे अपने विचार सदन के सामने रख रहे हैं। इस पर आपको उत्तेजित होने का क्या मतलब है?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It may be faith for others also. I don't object to it. But here the victims were dalits. So I am talking about dalits. The Constitution provides right to faith and right to religion. If the faith is attacked, if the faith of the dalits is attacked, the dalits are in their right to protest against the atrocities. My predecessor, Prof. Kapse, said that they were not allowed to remove the garland of *chappals* by the police. What was the demand? They never wanted that it should remain there continuously. They only demanded that the evidence should be recorded. They wanted that a photographer should be brought there and one photograph of that statue should be taken. Why did the police not oblige them? What was wrong in keeping an evidence of that? People had seen it. The police had seen it. the local people demanded that before removing the garland it should be photographed. But the police did not oblige them. They were asking for an evidence. Was it wrong? Actualaly all the facts have not been brought before the House. Seven bullets were fired at Kaushalya Bai. Is this the way of firing at the rioting mob? How can we believe the police version? The only eye-witness, Mr. Sukhdev Kapadne, who was 40 years old, was caught by the police. He was the only eye-witness of firing. He was beaten up with *lathis*. He was shouting, "*Mat maro, mat maro*". He was then asked to sit in the police van. After taking him 50

metres away, they asked him to get down. He was asked to go from there. They then fired four bullets at his back. This was done to arase the evidence. They caught hold of the only eye-witness and then they beat him severely and allowed him to go back. When he was going, they fired four bullets at his back. He was killed.

Madam, I have got the statement showing details of the deceased. The rule says you cannot hit people above the belt. The details are: "Sukhdev Ramji Kapadne — Entry Rt. side chest front, Exit— Ltd. Rib side chest; Sanjay Gangaram Nikam — Entry-Rt. TRICEP (side) Exit bullet part found in stomach; Babloo Shivanandan Verma — Entry Ltd. side back, Exit Lt. side chest (front); Anil Madhukar Garud — Entry upper back, Exist upper chest (rear); Nandu Kishor Murlidhar Katarnavre — Entry front chest, Exit back (front); Sanjay Subhash Kamble — Entry shoulder chest, exist back (front)". Then a 14-year-old boy was hit on his eyebrows. They fired 50 rounds of bullets. They have also given the reports regarding how many bullets each policeman fired. I have got the details with me. Does it give an impression that they resorted to firing to disperse a rioting mob? This is the main question. Later on another story was prepared. Madam, it was an empty tanker. The local people know where the tanker was standing and where it was going. I have got both the maps, one which the police has given and another one which Shri Shinde was showing. Both the maps show that the tanker was away from that place. Later on it was brought near that place. The police report has not mentioned it. The local people know about it. It was any empty tanker and it was standing far way. After the FIR was filed, the tanker was brought near that place to support the police version. These are hard facts. The local people say it. I have the police report with me. It says that the tanker's hind portion was on fire. What should be the immediate duty of the police? If the tanker's hind portion was on fire, what should have been the immediate duty of the police? They did not try to extinguish the fire. They rang up the fire brigade. It was the fire brigade that put out the fire. This has been mentioned in the police report, the State Government's report. The tankers' story is only a myth. This is the police version. My friends from Maharashtra will go into other details. I will not go further into it. I will only look into that aspect as to whether the police was within its limits, whether they followed the police manual for dispersing the crowd or whether they have committed excesses. The evidence on record and the evidence of eye-witnesses clearly show that the police had committed excesses. What was the action taken against the police? People have even identified the concerned Inspector. He should be suspended. The Government should take immediate action against him. But nothing has been done so far. What inference should we draw from this? In such cases, you should at least try to infuse some confidence in the people. Instead of taking action against the police, the Government is trying to create evidence in favour of the police. Madam, Mr. Kapse mentioned certain figures. I have some figures with me. These figures show the number of cases of atrocities committed on Harijans and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Maharashtra. These figures were published by the Statistical Department of the Government of India. This atmosphere has been created after the new Government withdrew cases of atrocities committed agaisnt the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. The cases that have been withdrawn are more than hundred. The Cabinet passed a resolution for withdrawing these cases. Madam, here arises a constitutional question. Parliament makes laws deliberately and conscientiously. But the State Government passes a resolution which runs contrary to Parliament's decision. It

allows for the withdrawal of cases which are pending under the Prevention of Atrocities Act. I leave it to the House to ponder over it. The will of the Constitution has been overruled by the State Government. Parliament makes a law and the State Government deliberately decides not to act upon it. On the contrary it passes a resolution which is opposed to the intention of Parliament. I leave it to Parliament, which is the supreme body, to take note of this. If there are trivial matters, if there are cases or personal scores to settle, Government has got powers to review. But what are the cases which are withdrawn? Mr. Kapse did not mention that aspect. What are the cases which are withdrawn There was an agitation for the renaming of a university in the name of Ambedkar. Agitators were Dalits. They were attacked and cases were booked. Lock, stock and barrel the Cabinet decides to withdraw all these cases. Are you justified in saying that these are the cases filed for settling personal scores among the people? Does it amout to misuse of the law? Madam, what is the atmosphere created in the country today? It is an atmosphere of hatred towards the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. On the one side in Maharashtra, these incidents are occurring. On the other side, U.P. is proclaiming that we will scrap the Atrocities Act, we will not pass the Reservation Bill. We will scrap the Reservation Bill. None other than the Defence Minister of the country says that this reservation should go, reservation should end, Atrocities Act should be scrapped. We are creating an atmosphere to create hatred among the society, against the Dalits. No doubt in such an atmosphere anybody will get encouraged. If a number of cases of atrocities committed against the Scheduled Castes and Scheduled Tribes by the culprits are withdrawn and if the police who do not follow the procedure, mercilessly kill the Dalits and are pardoned and are supported by the Government, then what message are we sending? Kill the Dalits and escape. Nobody is there is ask. What is the literature that is coming nowadays? Creating hatred among the society! I think casteism is going to be worse than communalism. Casteism is developing. We have lost the sense of looking at the society as a whole. Everybody says, 'I am a Dalit, I am a Yadav, I am a Muslim, I am a Kurmi.' So, we are segregating the society by creating hatred. Somewhere Dalits and Muslims are fighting, somewhere Dalits and Kurmis are fighting, somewhere Dalits and upper-castes are fighting. Where are we leading this country to? The time has come to sit and ponder over that. India has to be looked at as a whole, as one country and Indian society has to be looked at as one. Deliberately the Constitutional makers have given certain privileges to the weaker sections which have been there for centuries. It is the magnanimity that should be treated as a weapon to hate them, to create hurdles in development. Incidents happen here and there. We accept it. That is a sign of evolution. It is going to happen, we cannot avoid it. As long as the suppressed man gets a voice, gets educated, he will certainly resist. Whenever such resistance comes, incidents will happen. But that does not mean that it should result in brutal killing. The Government should not indulge itself in such acts. That incidents could happen in a village, town, etc. But the Government should be an arbitrator. The Government should book the culprits and give the weaker sections the required protection. Has the required protection been given to the victims? No. till today, they have not been given the required protection or relief. Nothing has happened so far. If we have done something, let my friends come out with the details of such relief or assistance. What have the affected people demanded? There are two-three demands. Firstly, they demanded that a member of the family whose earning member died should be provided a Government job. Would the Government require so much time to provide

employment to a member of the victim's family? Their second demand was to transfer some police officers. They wanted the Government to suspend them and take action against them. But the Government says, "No, we have ordered a judicial enquiry. Let the enquiry be over. It may take two-three months." Till then, what about their bread? The bread-earner is dead. Six daughters are living in the house. Five children are living in the House. There is no relief extended to them from the Government side to the families of the victims. The Government is duty-bound under the directions to provide such relief to them. You have violated them.

Madam, I don't want to go into the political aspect of it. Mr. Shinde has already narrated it. It shows that there is a race for oneupmanship. Latest reports indicate that because you have done that I have done this. I am the culprit because you are the culprit. Mr. Shinde rightly summed up when he said, 'I did it because you did it. I killed him because you killed somebody.' The result is, people of the Scheduled Castes are being killed. Who killed them? Who were responsible? Is it Bal Thackeray or Bhujbal? The debate is going on. The Home Minister of this country goes to Bomaby and gets an assurance from Bal Thackeray that these things would not be repeated. It means these were done, but would not be repeated. It is not the State Government which gives this assurance. It is not Manohar Joshi or Munde who gives this assurance. It was given by Thackeray Saheb to the Home Minister of India saying that these things would not be repeated. And the Home Minister accepts this assurance! This means that all these things have been proved. The *Samna's* statement is before me. Its editorial concedes that they did all this. It says that we have to teach them a lesson. With this attitude being there, where is the protection? Here is a Government which deliberately attacks the Scheduled Caste and the Scheduled Tribe people and says उन को सबक सिखाने के लिए हम कर रहे हैं। हम करेंगे।

श्री संजय निरूपम: मैडम, ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है "सामना" में। मैडम, यह गलत जानकारी दे रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप सही जानकारी दीजिएगा जब आप की पार्टी का समय आए।

श्री संजय निरूपम: मैडम, ऐसी कोई बात "सामना" में कभी नहीं लिखी गई है कि हम ने सबक सिखाया है ...**(व्यवधान)**... मैडम, यह गलत बोला जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप बार-बार इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरूपम: मुझे उत्तेजित किया जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): किसी भी कारण के बिना आप उत्तेजित हो रहे हैं। अगर आप उत्तेजित होंगे तो और भी सदस्य उत्तेजित हो सकते हैं। आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... प्लीज बैठिए। उन्होंने अपनी ओर से कोई बात नहीं कही है। ...**व्यवधान)**... सुनिए, उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा है, अखबारों में जो कुछ उन्होंने पढ़ा है, वही सुनाया है। तो आप इस पर उत्तेजित मत होइएगा।

श्री संजय निरुपम: जो अखबार में लिखा गया है, वह पड़कर नहीं सुनाया है। उन्होंने कहा कि "सामना" अखबार में ऐसा लिखा जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, I am sorry. I am not a Marathi expert. Let me, therefore, accept it. I have not read the Marathi language.

श्री संजय निरूपम: फिर आप को मराठी अखबार कोट नहीं करना चाहिए। If you are not a Marathi expert, then don't quote from any Marathi newspaper.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I read some news. If the editor is sitting here and says that I am wrong, I will accept his version. I don't want to dispute his version. But a message has gone that this thing will recur.

I tell you that the number of such incidents has increased. Cases have been withdrawan and an atmosphere has been

created. You take the circulars. 16 GRs! I don't know why Shri Shinde...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Will you please conclude now, Mr. Hanumânthappa?

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, certain facts have to come on record. Sixteen GRs in the last two years have been issued against the interests of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Maharashtra. One of the Government notifications is about uniform. Sixteen GRs! They can look into their records. The number of GRs has been given. So, such an atmoshpere is going on there. I only request the Government that we have to live here; we have to lie with this society; we have to live in India, in Mumbai, in Maharashtra, in U.P. We cannot get out of this country. But, give us an atmosphere of living. There may be hatred in the society, but Government-sponsored hatred should not happen. This is what I feel. The Government should not support such things. The Government should be impartial. Maybe, your own people have committed the blunder. You must have the courage to book them, then only you can take the other people into confidence and have the solace. This is what I am asking. I don't want to blame anybody. It is happening everywhere. There is only a difference of degree. I know it. But, Government-sponsored attrocities should not happen and wherever attrocities are committed, whoever they may be, whatever their position may be, they should be booked. Even if police officials commit such mistakes, they should be booked and protection is to be given to the weaker sections, and the required relief should reach them. Thank you.

श्री वसीम अहमद: मैडम चेयर परसन, 11 जुलाई को जो हादसा बाम्बे में दलितों के साथ हुआ, वह तफसील से शिन्दे साहब और हनुमनतप्पा साहब ने यहां रखा। मैंने भी उसी हादसे की जगह को 20 तारीख को खुद जाकर देखा, लोगों से मौके पर घर पर जाकर मिला और मालुमात की। उसे में इस हाऊस के सामने आपकी मार्फत रखना चाहता हूं।

मैडम, यह वाकया उस दिन सात, साढ़े सात बजे के करीब शुरू हुआ। दो घंटे तक बाबा साहेब अम्बेडकर जी की मूर्ति पर जूतों की माला पड़ी रहती है और वहां की पुलिस उसको हटाती नहीं है। जाहिर है, जो दलित नौजवान बाबा साहेब को अपना भगवान मानते थे, वह कैसे यह सब बर्दाशत करते। दो घंटे तक जूतों की माला पड़ी रहे और पुलिस उस पर कोई एक्शन न ले, तो लोगों को इकट्ठा होना यकीनी तौर पर अपनी जगह सही था। लोग इकट्ठे हुए जगह जगह पर, उन्होंने अपना प्रोसेसन भी निकाला। इसमें कोई शक नहीं हैं, लेकिन पुलिस ने दो घंटे तक उस पूरे वाकये को बढ़ने दिया और बढ़ने के नतीजे में पुलिस ने आखिर में गोली चलाई। इस गोली चलाने में दस बेगुनाह लोग मारे गए। मैं बेगुनाह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वह गुनाहगार नहीं थे। जो गोलियां उन पर 50 राउण्ड बरसाई गई उसमें 40/45 लोग जख्मी हुए और 10 लोग मरे। जिन गोलियों को नीचे चलाना चाहिए था वह गोलियां छातियों पर और सिरों पर लगीं। यह इस बात का यकीन दिलाता है कि पुलिस ने जो गोली चलाई वह दलितों को मारने के लिए और भूनने के लिए चलाई।

मैडम, मुझे अफसोस इस बात का है कि हम आज आजादी के पचास साल मना रहे हैं और आजादी का पचासवां साल मनाने के साथ साथ, सिवाय शिव सेना को छोड़कर, हमने इस मुल्क को एक दलित से प्रेसीडेंट आफ इंडिया दिया है और इसी पचासवें साल की आजादी के ठीक दो महीने पहले, डेढ़ महीने पहले दलितों को भूना जा रहा है।

दलितों पर यह जुल्म और ज्यादती महाराष्ट्र में कोई पहली और आखिरी नहीं है। पिछले 10 सालों का इतिहास गवाह है कि चाहे मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंदर हो, चाहे दूसरी जगहों पर हो, दलितों को भूना और मारा जाता रह है। जब दलितों को कोई मारता है और उस पर लोग बंद होते हैं तो उनको छोड़ दिया जाता है, जैसा कि अभी शिन्दे साहब ने कहा है। न सिर्फ दलितों के साथ बल्कि 1992 और 1993 के दंगों के बाद और 6 दिसंबर के हादसे के बाद जिस तरीके से अक़ल्लियतों और दलितों के साथ शिव सेना के लोगों ने जुल्म और ज्यादतियां की हैं, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। वही शिव सैनिक जब भुजबल के घर पर अटैक करते है तो कोई बंद नहीं होता है, वही शिव सैनिक जब महानगर

जैसे अखबार पर अटैक करते हैं तो उन पर कोई कानून लागू नहीं होता है।

महोदया, मैं अपनी सरकार से पूछना चाहता हूं कि वह कौन सी वजह है कि जब कमजोर तबके के लोग सड़कों पर जा जाते हैं तो उनको आप "टाडा" में बंद कर देते है और बेगुनाह लोग जब मरें तो शिव सैनिकों को आप आज़ाद छोड़ देते हैं। यह कहां का इंसाफ है? आज इन बातों को लेकर रोष है। जो कुछ दलितों के साथ हुआ है, इस पर पूरे देश में बेचैनी है और हर पार्टी के लोग इसको कंडम कर रहे हैं। अगर हमने इसको बढ़ने दिया और हमने अगर ऐसी सरकारों को सत्ता में रहने दिया जो कमजोरों को मारें, जो दलितों को मारें, जो अक़ल्लियतों को मारें, अगर उनको हमने चलने दिया तो हम अपने मुल्क के अंदर लोगों को इंसाफ नहीं दे पाएंगे।

हमें चाहिए कि हम ईमानदारी के साथ महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ है, उसका विश्लेषण करें। महोदया, बाबा साहब अम्बेडकर की हैसियत दलितों के लिए भगवान की हो सकती है लेकिन समाज के दूसरे वर्गों के लोग भी उसको उतना ही मान और सम्मान देते हैं। ऐसे शख्स की प्रतिमा के साथ इतनी ज्यादती हो और सरकार उस पर कोई ऐक्शन न ले, न पुलिस के खिलाफ न वहां के शिव सैनिकों के खिलाफ, तो ऐसी सरकार को बरखास्त करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं रह जाता है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसी सरकार को बरखास्त करना चाहिए। जो सरकारें दलितों और अक़ल्लियतों के बचाव के लिए कुछ न कर सकें बल्कि एक सैक्शन को दबाने और दूसरे सैक्शन को प्रोत्साहन देने का काम करें तो आखिर ऐसी सरकारें कब तक चलने दी जाएंगी?

महोदया, हम आज़ादी की 50वीं सालगिरह मना रहे हैं। हमें यह निश्चय करना होगा कि अगर कोई दलितों पर, अक़ल्लियतों पर, कमजोर तबके के लोगों पर जुल्म करेगा तो हम ऐसी सरकार को बरखास्त करेंगे और हम 356 का सही इस्तेमाल करेंगे। अब वक्त आ गया है कि हम 356 का प्रॉपर इस्तेमाल करें और महाराष्ट्र की सरकार को बरखास्त करें। यह बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Madam, I thank you very much for giving me a little time to intervene in this matter. Madam, I have heard with great attention the speeches, particularly the last one delivered by my hon. friend Mr. Pillai and, of course, of my friend Mr. Hanumanthappa. I fully appreciate the passion and the pathos that have gone into the speeches. I fully share the anguish of my learned friends who are somewhat aghast due to the nature of the tragedy that took place. In a State to which I happen to belong, Madam, I hope no Member persent in this House will doubt or suspect my pro-Dalit credentials. I am one of those who fought for the backward classes long before Mr. V.P. Singh stole my clothes. ...*(Interruptions)*...

As a student of Constitutional Law which has been my forte, I regard Dr. Ambedkar as my juristic and legal *guru* and I worship him with all the reverence that is due to a teacher and I claim the whole family particularly, Mrs. Ambedkar who is a very dear sister of mine and Prakash, as a very old political comrade. Madam, what has happened is tragic and when I heard Mr. Hanumanthappa marshal that evidence against the police, I did think to myself that I hope that formidable evidence which he has collected is properly presented through competent hands to the Commission of Inquiry which has been appointed and to the courts which will eventually go into this mater.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: I have read out only the police report.

SHRI RAM JETHMALANI: I do not, for a moment, doubt your pleased view. You have been a friend too long to suspect. Madam, we are a society governed by the rule of law. We are not that kind of a society in which we just proceed to execute our criminals wihtout proper trials and without proper legal process. I have no doubt that the police officers who committed those excesses will be punished by the courts. What you can ask for is a speedy disposal of those cases so that justice is not delayed which ultimately becomes justice denied. Whatever be the evidence which exists about the police excesses, as a lawyer, I am prepared to go one step further than

all my learned friends here. To my mind, all killing is *prima facie* homicide. The burden lies heavily upon those who justified the killing. Those who wanted to say that killing was justitied, the burden of proof is on them and they have to lead evidence to the satisfaction of a tribunal or a court that the killing was justified under the circumstances. I do not wish to prejudice the cases of those police officers, but if it brings any peace or any solace to my learned frinds, a little objective study that I have been able to make of the evidence which is presented, not in the shape of legal evidence admissible in a court of law, but what I have read in the newspapers and from other accounts and some inquiries, it does appear to me to be a case in which the police lost their nerve and lost their verve and I believe that they are guilty, *prima facie,* of excessive use of force. But, once gain I am too trained a criminal lawyer, I have seen *prima facie* bad cases succeed and *prima facie* good cases fail. I hope, these police officers have some credible defence which they wills make at the proper time and I hope they will be prosecuted by able people like my learned friends here. What appals me is something which ought not to have found, at least, a place in the speeches of some of my learned friends whose political philosophies I have known of. After all, there is no doubt on the facts of the case that the whole incident started because some disgraceful human being,—I should call him a human being—some disgraceful brigand decided to put that garland of shoes around the venerable statue. Madam, the Chief Minister of a State or a Minister of a State or a higher police officer is not supposed to sleep near every statue in Maharashtra overnight. If a mischief-monger is determined to do a dreadful act like this, he can always succeed in doing it; you know, with all the security that our VIPs enjoy, some amount of murder and violence takes place and nobody can save them. Nobody can save a statue, if somebody is determined to pay for it and to create consequences like this. I am not prepared to believe one assertion, that the Government in power will deliberately engineer an incident of this kind. I have been watching the track record of my friends, Mr. Manohar Joshi. I think, he is one of the best Chief Ministers that Maharashtra has had in recet times. I, for one, am not prepared to believe but what I believe may ultimately turn out to be wrong and I will bow to superior evidence when presented. I do not believe that any member of the Maharashtra Government is responsible for what has happened. Moral and political responsibility apart, where are those great traditions of moral and political responsibility that have been recognised in this country or by other Governments or other political parties that have wielded power. I do not wish to pour salt over the raw wounds. I, therefore, do not wish to draw attention to historical wrongs committed from time to time. But, I believe that no Congress Minister, as I have said it before in this House without any fear of contradition, has ever resigned on a question of principle in the last 30 years. Shri Lal Bahadur Shastri was the first and the last perhaps. Perhaps there was none before him. But, never has it happened that was any resignation to own moral or political responsibility.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): Yes, Madhavrao Scindia had resigned.

SHRI GHULAM NABI AZAD (Jammu and Kashmir): Shri Chidambaram had also resigned.

SHRI RAM JETHMALANI: Please do not go into these ...*(Interruptions)*... I have got other versions of both these incidents. Please allow me ...*(Interruptions)*... If moral and political responsibility were recognised, your Railway Minister should have resigned this morning. In fact, when you were railing about the safety of passengers in Kerala, I was about to tell you that if you can support a Government from without,

you must now use the trains also from without...*(Interruptions)*... Do not get into the trains. ...*(Interruptions)*... Madam, those who talk of the use of Article 356 under these circumstances, I can understand somebody out of a feeling of hurt, as the last distinguished Member, put it, I am prepared to sympathise with that; I am even prepared to say, "Well, he said it, this is excusable." But to punish people for a criminal trespass into Mr. Bhujbal's house or for ransacking his house or to destroy his furniture, you cannot commit equally violent, much more violent, criminal trespass on the Constitution of the country.

There are Members of this House who have all along been saying that Article 356 deserves to be scrapped from the Constitution. There are those who have always said that you must limit the exercise of that power under Article 356. In fact, I am one of those who believe that Article 356 must go. If it cannot go, it has to be very drastically modified, and at least the position of prelast judgement which was given by the Supreme Court must be restored. But, I want to ask that those who talk of the dismissal of a Government must be willing to say that the provisions of the Constitution were violated, in what manner they were violated, what are those provisions and whether the Central Gvoernment of this country has got power udner two articles of the Constitution to give directions to the State Government, the manner in which they should deal with a particualr situation. Our Constitution goes further...*Interruptions)*... Madam, I want only one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): No, no, this is just to remind you that you have to catch a flight at 4 o' clock.

SHRI RAM JETHMALANI: Madam, I am grateful to you. I will leave within a minute.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You had written this in your request. So, I thought let me remind you that you have to catch a flight at 4 o clock. ...*Interruptions)*...

SHRI RAM JETHMALANI: You are always so graceful; and the airlines will also be graceful to me for two minutes more. ...*Interruptions)*... Our Constitution provides that in a given situation when the Central Government feels that the State Government is not carrying out its duties, it has the power and the right to issue directions to the State Government. If the State Government thereafter commits a violation of those directions, that is a deemed case of breach of article 356 on which the State Government can be dissolved or dismissed. If you think that the superior Central Government has some better method of dealing with this controversy, they should have issued some directions. If my learned friends have some better directions to give, I want to know what they want the State Government to do. I ask: in how many cases of serious crimes have FIRs been lodged or investigations have taken palce? No FIRs no ivestigations. If any investigations have taken place, they have been frustrated and no trials have taken palce.

4.00 P.M.

How many? By the dozens. By scores. I can give you many illustrations.

Here, FIRs, have been recorded. Investigations have been completed. Police officers have been suspended. A Commission of Inquiry has been appointed, presided over by a sitting judge. Every single legal obligation has been discharged. But if somebody thinks that in spite of all these precautions, despite the steps the State Government has taken, something is missing, please tell us, for God's sake, what is missing, so that we communicate to the State Government: 'Here is a superior advice coming from our colleagues in the Rajya Sabha; please follow it'. We are prepared to embark upon this duty to this House,

as Members of this House. But to talk irresponsibly about the use of article 356 does more damage than the present invocation of it on the facts of a particular case. I do not want political parties and their spokesmen to have double standards whereby article 356 has one meaning when you are dealing with a State Government which you like, while it has another meaning when you are dealing with a State Government which you don't like.

Lastly, Madam, I would only say this.

SHRI V. NARAYANASAMY: Let the Chief Minister of Maharashtra take moral responsibility. Let him resign.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Narayanasamy, don't interrupt him. He has to catch a flight. Otherwise, he would miss the flight.

SHRI V. NARAYANASAMY: He says that article 356 should not be imposed. Then let the Chief Minister take moral responsibility and resign.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI (Rajasthan): It is up to the Cheif Minister again.

SHRI RAM JETHMALANI: Even if the Chief Minister resigns, if and when he resigns, be sure he won't leave his wife in his place.

Madam, may I give one last advice to my learned friends? The Dalits have an extremely strong case. They have been dispossessed. They have been humiliated. Genetic damage has been caused to them for two thousand years. There are people who cannot allow, with equanimity, their revolution which is in the offing. Those vested interests cannot reconcile themselves to an equal partnership with the Dalits. The Dalits have a strong case.

* * *

Thank You.

SHRI VAYALAR RAVI (Kerala): Madam, on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): No point of order, please. I cannot allow. Shri Ghulam Nabi Azad. *(Interruptions)*

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Ram Jethmalani has walked out of the House!

SHRI VAYALAR RAVI: Madam, Mr. Ram Jethmalani had made an allegation against a person who is not a member of this House. He is the Leader of the Opposition in the Legislative Council of a State. Mr. Ram Jethmalani is aware of the rule. If you look at the rule, you would find that, first of all, no allegation can be made against a person who is not a member of this House. There shall be no reference to any person who is a member of the other House or the member of any Legislature in the States. Mr. Ram Jethmalani, with all his legal knowledge, has made a very serious allegation against *I hope you would delete it from the record.

SHRI GHULAM NABI AZAD: It should be deleted from the record. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE); Mr. Fernandes, please sit down. *(Interruptions)* Mr. Pradhan, please sit down. I think I am in a position to handle the matter. I would like to request that we should not mention about those who are not members of this House. Mr. Ram Jethmalani mentioned about the Leader of the Opposition in the Maharashtra Legislative Council. His name should be expunged from the record.

SHRI GHULAM NABI AZAD: That is all.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Why only the name? What about the allegation?

SHRI GHULAM NABI AZAD: Even the allegation.

THE VICE-CHAIRMAN: (MISS SAROJ KHAPARDE): Including every-

*Expunged as ordered by the Chair.

thing. (*Interruptions*) Shri Ghulam Nabi Azad, please.

श्री गुलाम नबी आजादः मैडम, मुझे बहुत अफसोस है कि आज जब पूरे भारत में भारत की आज़ादी की पचासवीं वर्ष-गांठ मनाई जा रही है, स्वर्ण जयन्ती मनाई जा रही है, यह अवसर देश के सभी वर्गों और विशेषरूप से दलित और अल्पसंख्यकों के लिए भी उत्साह का ओकेजन होना चाहिए था। लेकिन मुझे अफसोस है कि आज इस स्वर्ण जयन्ती के अवसर पर हमारे दलित भाइयों को जहां खुशियां मनानी चाहिये थीं, वह मातम मना रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आज़ादी से पहले जो ज्यादतियां उनके साथ होती रही हैं, आज़ादी के पचास वर्ष बाद भी वही ज्यादतियां हो रही हैं। 11 जुलाई को मुम्बई में जो कुछ भी हुआ इसी तरह से दिसम्बर, 1992 में हुआ था जब बाबरी मस्जिद गिराई गई थी (व्यवधान) मैं बाबरी मस्जिद पर नहीं आ रहा हूं मैं, ओकेज़न की बात कर रहा हूं (व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह भंडारीः बहुत अच्छा। (व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आज़ादः उस वक्त भी लोग जब सड़कों पर उतर आए थे तो कोई टीयर गैस नहीं चली, कोई लाठी चार्ज नहीं हुआ, कोई वार्निंग नहीं हुई, कोई हवा में फायरिंग नहीं हुई। यह मेरा कहना नहीं है, श्रीकृष्ण कमीशन के सामने जो लोग पेश हुए उस वक्त उन्होंने यह कहा था। पुलिस अफसरों ने खुद इसको कबूल किया कि हमने यह कुछ भी नहीं किया। आज भी मुम्बई में जो कुछ हुआ उसमें कहीं भी टीयर गैस का, लाठी चार्ज का, वार्निंग या हवा में गोली चलाने की कोई वारदात नहीं हुई। सीधे गोली चलाने की बात आई। यह ठीक है कि ला एंड आर्डर स्टेट गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है चाहे बी०जे०पी० शिव सेना की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या जनता दल की सरकार हो, कई दफा फायरिंग हुई है, कई दफा लोग मरे हैं। लेकिन जब स्टेट स्पोंसर्ड फायरिंग होती हो और जब उस पर पर्दा डालने की बात आती है तो पर्दा डालने पर फिर वह कभी-कभी बेनकाब हो जाता है। कांग्रेस पार्टी के शासन में भी हो गया, उस वक्त जब आफिसर्ज़ ने, पुलिस ने उस पर पर्दा डालने की कोशिश की तो कांग्रेस पार्टी को बहुत भारी नुक्सान पहुंचा ऑन डिफरेंट ओकेज़ंस मैं यह नहीं कहता कि नहीं। इसलिए हमेशा मेरे ख्याल में हम दूसरों की गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं तो उसका नुक्सान भारतीय जनता पार्टी-शिव सेना की सरकार को होने वाला है। मैं यह कहता हूं कि उस वक्त तो हमारी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी लेकिन पुलिस वही है; आज बी०जे०पी०-शिव सेना की गवर्नमेंट है लेकिन पुलिस तो वही है। पुलिस किसी पार्टी की नहीं होती है। वह तो हर लीडर के सामने जी-हजूरी करते हैं अपने ट्रांसफर के लिए, अप्वाइंटमेंट के लिए करते हैं लेकिन हर सरकार की यह कोशिश होती है कि उनकी गलतियों पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं जिस से उनका मनोबल ऊंचा हो जाता है। मेरे ख्याल में 1992 में अगर हमारी सरकार ने उस वक्त एक्शन लिया होता तो शायद आज मुम्बई में पुलिस का मनोबल इतना ऊंचा नहीं होता कि वह दोबारा ऐसा करती। आज भी बी०जे०पी०-शिवसेना सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। कल दूसरी किसी पार्टी की सरकार आएगी तो कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में भी हम बच गये, शिवसेना बी०जे०पी० सरकार में भी बच गये और जनता दल की सरकार में भी बच सकते हैं, दूसरी पार्टी की सरकार में भी बच सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें कभी न कभी इनकी गलतियों पर, खामियों पर पर्दा डालने के बजाय एक्शन लेना चाहिये और उसी से समाज में मेरे ख्याल में शान्ति आ सकती है। मैडम, मैं इस पर कोई लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं सिर्फ चार पांच प्वाइंट्स पर मिनिस्टर आफ स्टेट फार होम अफेयर्स का ध्यान चाहूंगा। सब से पहली बात यह है कि जो कमीशन नियुक्त हुआ है, यह कमीशन फ्री, फेयर एंड विदाऊट फीयर होना चाहिये क्योंकि जिस तरह से महाराष्ट्र में आज हालात हैं अभी अकोला में जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं दो दफा लोक सभा का मैम्बर रहा हूं, वहां प्रेस की पिटाई हो गई। मैं महाराष्ट्र से राज्य सभा का मैम्बर भी रहा हूं। अभी कल परसों वहां के अखबार के एडीटर शिव शक्ति की पिटाई हो गई, उसका दफ्तर सब तहस-नहस कर दिया क्योंकि उसने एक मंत्री के खिलाफ लिखा था। ऐसा यहां बताया गया है और मेरे पास भी है। अभी लीलावती हास्पिटल के डायरेक्टर का मुंह काला किया गया बम्बई में और कहा गया कि तुम हमारे लोगों को नौकरी नहीं देते और सबसे बड़ा हमने तमाशा देखा और पूरी दुनिया ने तमाशा देखा कि किस तरह से बम्बई में काउंसिल के लीडर आफ आपोजीशन और जो विधान सभा के मधुकर पिचड़ हैं उन पर हमला करने की कोशिश की। माननीय उपसभाध्यक्षाजी आपने भी देखा होगा और मैंने भी 18 वर्ष से इन दोनों सदनों में देखा कि इंदिरा गांधी जी पर किस तरह से अटैक दोनों तरफ से, तीनों तरफ से, चारों तरफ से आपोजीशन के होते थे। राजीव गांधी पर किस तरह से पोलिटिक्ल अटैक्स होते थे। नरसिंह राव जी पर अटैक्स होते थे या दूसरी जगह जहां पर कांग्रेस की सरकारें 40-45-50 साल रहीं

*Expunged as ordered by the Chair.

वहां होते थे लेकिन मेरे ख्याल में कोई भी आज तक एक मिसाल नहीं है जहां यह कहा जाए कि सरकार की निन्दा करने के लिए लीडर आफ आपोजीशन के घर में रूलिंग पार्टी के लोग, एम०एल०एज०, कारपोरेटर्स, कारपोरेशन के चेयरमैन जाकर वहां उसको मारने की कोशिश करें। इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती और वह भी आजादी के पचासवें साल अगर हम ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल में आजादी का इसेंस भी हम नहीं समझ पाए। आज ही एक एम०एल०ए० गिरफ्तार हुए हैं। तीन चार दिन पहले कारपोरेशन के चेयरमैन जिनका कैबिनेट का दर्जा है वे गिरफ्तार हो चुके हैं, कई कारपोरेटर्स गिरफ्तार हो चुके हैं। पहले पुहल सरकार ने कहा था कि हमें जानकारी नहीं है। अगर जानकारी नहीं है तो कारपोरेटर्स कैसे गिरफ्तार हो गए। अगर जानकारी नहीं है तो कारपोरेशन के हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन जिनका कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा है, लाल गाड़ी है बम्बई में वे कैसे गिरफ्तार हो गए। सात एम०एल०ए० हैं वे कैसे गिरफ्तार हो गए। आखिर में सरकार को यह मानना पड़ा कि उसकी पार्टी के लोग थे। मैं यह मान सकता हूं अगर कोई आर्डिनरी वर्कर करता, कोई गुंडा करता। ऐसा हो सकता है। लेकिन रूलिंग पार्टी के जिम्मेवार लोग करें। मैं चाहूंगा कि जो हमारे साथी हैं खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे हमारे कुछ भी मतभेद उनसे हों लेकिन वे कुछ बुरी चीजों को टालरेट नहीं करते हैं और खास तौर से इस तरह के इनडिसिप्लिन को, इस तरह का इनडिसिप्लिन जब उनकी पार्टी में गुजरात में हुआ तो उन्होंने एक्शन भी लिया .. (व्यवधान) लिया है। तो मैं सोचता हूं कि ये जो हमारे दूसरे साथी इनके पार्टनर्स हैं अभी उनको डेमोक्रेसी के बारे में जरा कुछ सिखाएं। सीख नहीं रहे हैं। दूसरी तरह का तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं। वे उनको रास्ता दिखाएं। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से.. (व्यवधान) श्रीकृष्ण कमीशन अभी चार साल से चल रहा है, पांच साल बीच में बंद हो गया था और इसी महाराष्ट्र की सरकार ने उसको बंद किया था, फिर हंगामा पूरे हिंदुस्तान में हुआ तो अब फिर शुरू हो गया है। कहीं वह हाल इस कमीशन का न हो। यह कमीशन पूरे दो महीने में रिपोर्ट दे दे।

दूसरा मैडम, पी०सी०आर० के बारे में यहां चर्चा हुई है—प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स। हजारों लोग अरेस्ट होते हैं यू०पी० बिहार और बाकी स्टेट में, राज्यों में। अगर शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड कास्ट्स को आप गाली दें या जातिवाद फैलाएं तो सजा दी जाती है दो साल। एक व्यक्ति एक इंडिवीजुअल अगर जातिवाद फैलाए— सवर्ण जाति का या दूसरी जाति का—तो उसको आप दो साल की सजा देते हैं। लेकिन अगर सरकार 16 जी०आर्स बनाए, 16 आर्डर्स निकाले और कहे कि शिड्यूल्ड कास्ट की वर्दी नीले रंग की होनी चाहिए और दूसरी कास्ट्स की और रिलीजन की वर्दी सफेद और खाकी होनी चाहिए—इस तरह के जी०आर्स अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट निकालती है तो जब एक व्यक्ति को प्रोटेक्शन आफ सिविल राइट्स में आप दो साल की सजा देते हैं तो स्टेट जो ऐसे कानून तोड़े उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए यह जवाब हमारे गृह मंत्री को देना चाहिए। यह तो आपको बताना चाहिए। स्टेट अगर तोड़े तो उसके दस गुना सजा होनी चाहिए। एक आर्डिनरी गरीब इंसान इस तरह का करता है तो उसको यू०पी० बिहार में जेल में भर दो। अब उसी वर्दी के लिए जब जी०आर० महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने निकाला तो लोग इस वर्दी के खिलाफ सड़कों पर आ गए। तब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने वह जी०आर० वापस किया। दोनों जी०आर० इनके पास हैं। उसमें क्या हुआ। 6 करोड़ की वर्दी जो सरकार ने खरीदी थी वह अभी तक भी पड़ी हुई है। देखें तो वह भी एक बड़ा स्कैम निकलेगा। इसका भी निकालना चाहिए कि इतने करोड़ का जो कपड़ा खरीद कर रखा है आपने जो नया जी०आर० निकाला जो आपने दो किस्म के लोगों के लिए दो वर्दियों के लिए कपड़ा खरीदा इसके लिए मैं अपने बुजुर्ग साथियों से कहूंगा कि चिंतन करें और कहें। फ्लोर आफ द हाउस पर इनका काम डिफैंड करना है लेकिन मेरे ख्याल में आपकी पार्टी में जाकर, इसमें बहुत बुद्धिमान लोग हैं, इस पर अपना विचार, अपना ज़हन लगायेंगे, दिमाग लगायेंगे और इस तरह की छोटी चीज़ें जो हैं जिससे समाज में संतुलन बिगड़ सकता है और भेदभाव और ज्यादा आ सकता है उसके लिए मेरे ख्याल में दोनों भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के नेताओं को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

महोदया, एक चीज़ के बारे में इन्होंने बताया कि जहां फायरिंग हुई वहां पेट्रोल टैंकर्स आपने तो एंपटी पैट्रोल टैंकर्स बताया लेकिन जहां तक मेरी इन्फेंशन है एंपटी टैंकर, कुछ भी नहीं था, यह तो आफ्टर थॉट है कि जब गोली चलाई तो उनको मालूम हुआ कि अब क्या बहाना करा जाए। तो कहीं से जो एंपटी टैंकर्स घूम रहे थे पेट्रोल और दूसरे गैस के, उनको पकड़ कर वहां खड़ा कर दिया। तो वे थे ही नहीं। इसलिए लोगों का और भी गुस्सा है कि जब फायरिंग हुई उस वक्त तो वहां टैंकर नहीं था। अब पुलिस अपना केस मजबूत कराने के लिए खाली टैंकरों को बीच में ला रहे हैं। मेरे ख्याल में इसके लिए भी इन्कवायरी होनी चाहिए। अब जो एफेडेविट की

बात है तो आदमी जब एक दफा असत्य बोलता है तो उसको छिपाने के लिए 100 असत्य बोलने पड़ते हैं। फिर वह बोलता ही रहता है। अब यह गलत फायरिंग के लिए गलत वारदात हुई है बाबा साहब अंबेदकर की मूर्ति के वक्त उसको छुपाने के लिए और मि० भुजबल के घर पर जो अटैक हुआ उसको छुपाने के लिए अब एक फर्जी... (व्यवधान)

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): प्रधान जी, आपका जब समय आएगा तब आप बोलिएगा। ...(व्यवधान) Now no interruption. I won't allow you. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down. Please sit down.

SHRI ADIK SHIRODKAR (Maharashtra): Let us not discuss about Mr. Bhujbal; otherwise... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): When you get a chance, then, you speak. Please speak after him.

श्री गुलाम नबी आजाद: अब जो अटैक है उसको छिपाने के लिए एक गलत एफेडेविट बनाया गया। गलत मैं इसलिए कह रहा हूं कि एफीडेविट देने वाले ने दो एफेडेविट दिए। एक पर लिखा है अग्रवाल और दूसरे पर गुप्ता लिखा है। कोई पूछे कि तुम अग्रवाल हो या गुप्ता हो तो कहता है कि कभी मैं अग्रवाल होता हूं और कभी गुप्ता होता हूं। एक स्टेट में जाता हूं वहां गुप्ता मुझे कहते हैं, दूसरी स्टेट में अग्रवाल कहते हैं। उस एफेडेविट में भी क्या है। कहा कि पहली जुलाई को मुझे भुजबल ने कहा था कि तुम हार डालना और पहली तारीख को भुजबल वहां थे ही नहीं श्रीकृष्णा कमीशन में गए हुए थे। फिर उसने एफीडेविट में कहा कि 8 तारीख को मोर्चा में मेरी उनसे मुलाकात हुई और मैंने उसको कहा कि मैं यह नहीं कर सकता हूं। किसी दूसरे से कराया जाए। 8 तारीख को मि० भुजबल मोर्चा में गए ही नहीं थे। हमारे जो बी०पीसी०सी० के प्रेसीडेंट हैं मुरली देवरा गये थे 8 तारीख को। लेकिन उन बेचारों को मालूम ही नहीं था वह 8 तारीख को मुरली देवरा का मोर्चा है या भुजबल का मोर्चा है। वह उसमें भी मार खा गए। इसीलिए मैं यह कहता हूं कि आदमी जब गलत बोलता है तो उस गलत को छिपाने के लिए उसको दस गलत बोलने पड़ते हैं। लिहाजा यह जो एफीडेविट है मैं चाहता हूं कि इसकी सी०बी०आई० इन्क्वायरी करानी चाहिए कि यह गलत एफीडेविट है या सही है। (व्यवधान) हम सिर्फ सी०बी०आई० इन्क्वायरी चाहते हैं.. (व्यवधान)

श्री संजय निरुपम: महोदया, मैंने इसकी कॉपी भी कराई है... (व्यवधान) यह *बोल रहे हैं।... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Nirupam, you must know one thing. * is a very, very unparliamentary word. Please withdraw that word. (*Interruptions*). No. I won't allow you. Please withdraw your word. (*Interruptions*). I am not going to allow you. Please sit down. (*Interruptions*). I won't allow you. (*Interruptions*). No, no. I won't allow you.

श्री संजय निरुपम: मैडम, मैं आप की परमीशन से बोलना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आजाद: मैडम, यह जो बोल रहे हैं, वह भी मैं कह रहा हूं कि यह सच है या गलत है, मैं चाहता हूं कि इस की सी०बी०आई० इंक्वायरी करनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उस को दंड मिलना चाहिए ...(व्यवधान)... मैडम, मेरा चौथा पॉइंट यह है कि अभी होम मिनिस्टर साहब मुंबई गए। ...(व्यवधान)...

श्री संजय निरुपम: मैडम, यह एफीडेविट की कॉपी है। ...(व्यवधान)...

श्री गुलाम नबी आजाद: हम तो इंक्वायरी चाहते हैं, अगर गलत होगा तो सजा मिलेगी। (*Interruptions*).

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Silence, please. Mr. Adik, please sit down. I have not allowed you.

श्री गुलाम नबी आजाद: आखिरी पॉइंट यह है कि मुझे बहुत अफसोस है कि जब होम मिनिस्टर साहब मुंबई से आए और उन्होंने स्टेटमेंट दिया और कहा कि मुझे उस पर विश्वास है जो बाला साहेब ठाकरे ने मुझे यकीन दिलाया है। हमारे होम मिनिस्टर साहब जब अपोजीशन में थे, तो वह हमेशा यह कहते "एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल अथॉरिटी" कहते थे। उन्होंने चीफ

*Expunged as ordered by the Chair.

मिनिस्टर की चर्चा नहीं की, उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री की चर्चा नहीं की ...**(व्यवधान)**...

श्री संजय निरुपम: आप के यहां हाय-कमांड है।

श्री गुलाम नबी आजाद: हाय-कमांड सरकार नहीं चलाता है। हाय-कमांड पार्टी में डायरेक्शन देते हैं। हाय-कमांड हुकूमत नहीं चलाते। हुकूमत मुख्य मंत्री और गृह मंत्री चलाते हैं। अगर हाउस में कहा जाय कि जनता दल के प्रेसीडेंट मि० यादव का यह हुकम है, तो वह हुक्म यहां नहीं चलेगा। प्राइम मिनिस्टर का यकीन चलेगा, होम मिनिस्टर का चलेगा। मुझे अफसोस है कि इस तरह की एक्स्ट्रा कांस्टीट्यूशनल अथॉरिटी का इस्तेमाल सदन में किया जाता है। यह बहुत अफसोस की बात है। इस से महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का खुद अपमान है। इन दोनों को तो इस्तीफा दे देना चाहिए था अगर होम मिनिस्टर पूछता ही नहीं है, उन से बात ही नहीं करता है, तो वह क्या कर रहे हैं? ...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं चाहूंगा कि होम मिनिस्टर साहब को अपने वर्ड्स विदड्रा करना चाहिए या उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिए। ...**(व्यवधान)**... you should not refer to "extra-Constitutional authority".

श्री राघवजी (मध्य प्रदेश): मैडम, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। मेरा पॉइंट आ फ ऑर्डर यह है कि अगर भुजबल का नाम नहीं लिया जा सकता है बाला साहेब ठाकरे के लिए "एक्स्ट्रा-कांस्टीट्यूशनल अथॉरिटी" कैसे कहा जा सकता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री गुलाम नबी आजाद: मैडम, मैं ने एलीगेशन बाला साहेब पर नहीं लगाया है। ...**(व्यवधान)**... मैं ने बाला साहेब ठाकरे पर कोई एलीगेशन नहीं लगाया है।

श्री राघव जी: आप ने एलीगेशन लगाया है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): शास्त्रीजी, आप बैठिए। मैं रिकॉर्ड देख लूंगी और अगर कहीं आपत्तिजनक बात होगी तो उस को हम जरूर हटाएंगे। आप इस के लिए झगड़ा मत करिएगा।

श्री सतीश प्रधान: मैडम, मैं अपनी बात शुरू करूं, उस से पहले कहना चाहूंगा...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप अपनी बात जरूर करिएगा, लेकिन आप की पार्टी का समय 5 मिनिट है, उसे जरूर ध्यान रखिएगा।

श्री सतीश प्रधान: मैडम, यह तो आप अन्याय कर रही हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मैं यहां किसी के साथ अन्याय करने के लिए नहीं बैठी हूं। सब को एक समान मौका देने के लिए बैठी हूं और सब से एक तरीके से निपटने के लिए बैठी हूं।

श्री सतीश प्रधान: मैडम, मुझे इस सदन में 5 साल हो गए, लेकिन मैं ने कभी भी सदन का टाइम हर्जा करने की कोशिश नहीं की।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे):— आप यह सब बत बोलिए। आप मुद्दे पर आइए।

श्री सतीश प्रधान: मैं आज भी टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, लेकिन जितनी बातें सदन के सामने रखने की आवश्यकता है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप शुरुआत कीजिए अपने विचारों को सदन के सामने रखने की।

श्री सतीश प्रधान: मैडम, हम सब यहां पार्लियामेंट में एंट्री गेट पर कार रखकर आते हैं तो वहां आज से पहले वहां महात्मा गांधी जी की स्टेच्यू को वंदना करते हैं। उन के आदर्श सामने रखने की बात तय करते हैं और बाद में सदन में आते हैं। इन गांधी जी के प्रति, जिनका सब लोग वहां नाम लेते हैं, महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता, जिनका नाम लेकर यहां बहुत सारी बातें हुईं, उनके गांधी जी के बारे में कितने उच्च विचार थे? यदि हम लोगों को उनके उच्च विचारों से ऐसा लगता है, तो मैं उसे सदने के सामने रखना चाहूंगा।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): He is quoting from the newspaper. He has taken the name of the Leader of Opposition.

एक माननीय सदस्य: यह उनके खिलाफ बोल रहे हैं या दलितों के ऊपर जो गोली चली उसके ऊपर बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप पेपर से कोट कर रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... जो अप्रिय चीजें हैं उनको हम लोग इस हाऊस में क्यों दोहराएं?

...**(व्यवधान)**...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैडम, हर बार न्यूज पेपर से उद्धृत करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): शास्त्री जी, देखिए, अखबार को उद्धृत करना अलग बात है और किसी नेता का नाम लेकर यहां बोलना अलग बात है। आप उसको एक्साइड करिएगा। ...**(व्यवधान)**... भंडारी जी, आप तो सीनियर मोस्ट मेम्बर हैं। मैं आपको बहुत मानती हूं, आपकी बहुत इज्जत करती हूं। मेरा सिर्फ निवेदन इतना है कि जो लोग अपने आपको डिफेंड नहीं कर सकते सदन में, उनके नाम अगर आप एवायड करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें।...**(व्यवधान)**...

श्री सतीश प्रधान: मैडम, उसमें से उनका नाम निकाल दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): हां, तो फिर आप ऐसी कोई बात मत उठाइए, जिससे सदन में और लोग भी उत्तेजित होकर कुछ बोलें।

श्री सतीश प्रधान: मैं सिर्फ इतना कर देता हूं कि विपक्ष के नेता और इतना बोलकर छोड़ देता हूं, बाकी जो कुछ कहा है, वह है। ...**(व्यवधान)**...

SHRI GOVINDRAO ADIK: Madam, I am on a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Adik, what is your point of order?

श्री गोविन्दराव आदिक: मैडम, प्रधान साहब जी यहां भाषण कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वह एक अलग विषय है। वह अलग मुद्दा यहां उठा रहे हैं, जिसका इस विषय से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई संबंध नहीं है। भुजबल जी ने क्या कहा, किसके बारे में कहा, वह अलग विषय है। ....**(व्यवधान)**....

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Mr. Adik, that is not the subject before the House today. That is not related to the subject.

SHRI GOVINDRAO ADIK: Then how can he refer to that? (*Interruptions*)

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: मैडम, अभी माननीय शिन्दे जी ने आधा घंटे तक पृष्ठभूमि बताई थी, वह विषय पर नहीं बोल रहे थे। आधा घंटा पृष्ठभूमि बताने के बाद आपने विषय पर वह आए थे। हमने उनके आधे घंटे की पृष्ठभूमि को ध्यान से सुना था। ...(व्यवधान)...

* Expunged as ordered by the Chair.

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): उन्होंने आधा घंटा या पन्द्रह मिनट या बीस मिनट में पृष्ठभूमि बताई थी? ...**(व्यवधान)**...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: जिन महापुरुष के बारे में आपको इतना गर्व है, उनकी पृष्ठभूमि भी सुननी चाहिए। आप एक पृष्ठभूमि सुनने का आदेश देती हैं, दूसरी पृष्ठभूमि सुनने का क्यों नहीं? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): शास्त्री जी, मैं सभी माननीय सदस्यों की पृष्ठभूमि सुनने के लिए यहां बैठी हूं। मेरा सिर्फ निवेदनव यह है कि शिन्दे जी ने जो पृष्ठभूमि बताई थी वह इसी विषय के संदर्भ में ही बताई थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री विष्णु कान्त शास्त्री: वह भी अलग थी। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप उसी संदर्भ में बताइए, जरूर मैं आपको एलाऊ करूंगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री गोविन्दराव आदिक: मैंने आपसे आदेश मांगा था, शास्त्री जी ने नहीं मांगा था। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आदिक जी, आप बैठ जाइए। आपने अपना पाइंट आफ आर्डर उठाया, उसका नोटिस किया गया है। अब आप बैठ जाइए, उनको बोलने दीजिए।

श्री गोविन्दराव आदिक: मैडम, एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि जब यह भाषण भुजबल साहब ने दिया, तब वह भी शिवसेना के मैम्बर थे। यह शिवसेना का ख्याल उन्होंने बताया था, जो शिवसेना वालों की नीति है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): देखिए, किसी नेता के बारे में कि वह कैसा व्यक्ति था, कैसा व्यक्ति नहीं था, हमें नहीं बोलना चाहिए। देखिए, राजकीय जीवन में कभी आप इधर तो कभी वह इधर, कभी वह इधर तो कभी आप इधर, यह तो होता रहता है। तो कृपा करके इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा और उस अनुसार बोलिएगा। प्रधान जी, बोलिए।

श्री सतीश प्रधान: धन्यवाद, मैडम। मैडम, मुम्बई में दस हजार से भी ज्यादा मूर्तियां जगह-जगह पर लगाई गई हैं। इस विषय पर हमें गौर से सोचने की आवश्यकता है। जगह-जगह पर मूर्तियां खड़ी की गई हैं, राष्ट्रीय नेताओं की मूर्तियां खड़ी की गई हैं, भले ही वह किसी की हों। जिसका जिससे लगन हो, उसकी वह

मूर्ति खड़ी कर देते हैं। अब मूर्ति खड़ी होने के बाद उस मूर्ति की आगे की व्यवस्था, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था, उसके रख-रखाव की व्यवस्था, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था कहीं भी नहीं होती, इन्क्लूडिंग इन द पार्लियामेंट हाऊस। फिर वहां जो कुछ घटित होता है, उस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। इसके लिए क्या प्रावधान करना चाहिए, यह भी सोचने की आवश्यकता है। मेरा ख्याल था कि आज सदन में इस विषय पर चर्चा जरूर होगी लेकिन इस विषय पर चर्चा नहीं हुई। महाराष्ट्र सरकार ने इस संबंध में एक विधेयक लाने की कोशिश की है। मेरा ख्याल है कि इस ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कोई विधेयक लाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आज हमारे सामने विषय शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन का है। सुन लीजिए, थोड़ा पेंशस रखिएगा। आज शॉर्ट ड्यूरेशन का सब्जैक्ट जो है, वह है—To raise a discussion on the Police firing on Dalits in Mumbai and atrocities committed on them in other parts of Maharashtra. आप जो बात कर रहे हैं, इस विषय से हटकर बात कर रहे हैं।

श्री सतीश प्रधान: महोदया, मैं विषय से जोड़कर बात कर रहा हूं। मैं विषय से बाहर नहीं जाऊंगा। महोदया, महाराष्ट्र में 1992 से 1997 तक जितनी घटनाएं घटीं, मैं दोबारा उसके ब्योरे में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि कापसे जी ने वे बातें विस्तार से हमारे सामने रखी हैं। महाराष्ट्र में यह जो घटना घटी तो क्या हुआ? बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के साथ दुर्व्यवहार की यह घटना सुबह 6 और साढ़े 6 बजे के बीच हुई। मैं समझता हूं कि कुछ चीजें इस संबंध में सदन के सामने रखने की आवश्यकता है। साढ़े 6 बजे तक जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो पुलिस वहां गई और डा० अहीर वहां थे, जिन्होंने कंप्लेंट की थी। जो हार उस मूर्ति के गले में था, उन्होंने उसे निकालने के लिए मना किया। करीब 7 बजकर 10 मिनट पर पुलिस वहां पहुंची और उन्होंने हार निकालने की कोशिश की। लेकिन उन लोगों ने निकालने नहीं दिया। साढ़े 7 बजे रास्ता रोको शुरू हुआ और एक जुलूस निकाला गया। उसी समय आग लगाने की कोशिश हुई। आग लगाई गई। एक बस के पैसेंजर्स के बाहर निकलने से पहले ही आग लगाई गई और पैसेंजर्स को बाहर निकलने से मना किया गया।

महोदया, यह कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया। जब महाराष्ट्र सरकार को यह पता चला तो उन्होंने तुरंत वहां के पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्यवाही की और इक्वायरी बिठाई। हमारे साथी रेलवे मंत्री श्री पासवान जी वहां गए थे। उन्होंने कहा कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में भी विपक्ष के नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने डिमांड की कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत यह मांग मान ली और जुडिशियल इंक्वायरी एपाइंट की। हमारे रेल मंत्री जी वहां गए थे। उन्होंने कहा कि जुडिशियल इंक्वायरी तो ठीक है लेकिन जो सिटिंग जज है उसके द्वारा इंक्वायरी होनी चाहिए। यह मांग भी मान ली गई। फिर भी ये लोग कहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नहीं किया, उसको बरखास्त करो। यह संविधान की किस धारा के अंतर्गत बैठता है? हम सेंटर और स्टेट के बीच किस तरह के ताल्लुकात रखना चाहते हैं? इस बारे में हमें सोचना चाहिए। यह बात हुई कि विपक्ष के नेता के घर पर हमला हुआ। मैं यहां कहना चाहता हूं कि विपक्ष के नेता के घर पर भी हमला हुआ, यह अच्छी बात नहीं हुई, शोभादायक बात नहीं हुई, यह हम मानते हैं। लेकिन विपक्ष के नेता या उसके कोई भी जो रेस्पोंसिबिल पौलिटिकल अधिकारी हैं या पदाधिकारी हैं, राजनीति वाला है उस पर भी अपना व्यवहार ठीक ढंग से करने की आवश्यकता है। मैंड्म, मैं समर्थन करने की कोशिश नहीं करता हूं। लेकिन हकीकत सदन के सामने आने की आवश्कयता है।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): No interruptions.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, I want to raise a point of order. Madam, I am not going to raise that issue. A very serious discussion about the killing of Dalits in Maharashtra is taking place in the House. I am very pained to see that the hon. Home Minister is not here. He visited the place and he should respond to the queries of Members. He should not take it so lightly. I want to bring it on record. I want the Chair to observe that the Home Minister is not here to take down the points.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI MOHD. MAQBOOL DAR): I am representing the Home Minister.

SHRI V. NARAYANASAMY: It is a different matter that the Minister of State

is here. But the thing is that the Home Minister visited the place ....(*Interruptions*)....

श्री मूलचन्द मीणा (राजस्थान): जो मौके पर जाकर देख आए हैं वह ज्यादा अच्छा जवाब दे सकते हैं।

SHRI JOHN F. FERNANDES: The Home Minister visited Mumbai. We want a reply from the Home Minister.

SHRI V. NARAYANASAMY: Madam, if the hon. Minister is engaged in Lok Sabha, I have no objection. If he has taken permission, he can be there. But he is not having any business in Lok Sabha. When he is having no business in Lok Sabha, he should be here. He should not disrespect this House.

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): उपसभाध्यक्ष महोदया, असल में दोनों हाऊस में डिस्कशन चल रहा है। वहां बिहार में करप्शन केसेज पर चल रहा है और यहां भी महाराष्ट्र के केसेज पर चल रहा है। ...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The Minister is saying something. Please listen to him patiently.

श्री राम विलास पासवान: वहां भी होम मिनिस्टर को जवाब देना है इसलिए वहां होम मिनिस्टर नोट कर रहे हैं और यहां मंत्रिमंडल के सहयोगी साथी स्टेट होम मिनिस्टर नोट कर रहे हैं। अगर मंत्री जी इस तरह बैठे रहते तो मैं निश्चित रूप से यहां आने का आग्रह करता। लेकिन वहां भी हाऊस में नोट कर रहे हैं, उनको जवाब भी देना है। इसलिए मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि यहां स्टेट होम मिनिस्टर हैं वह नोट कर लेंगे और जवाब भी देंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो होम मिनिस्टर भी रिप्लाई कर सकते हैं।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): ठीक है, थैंक्यू। Yes, Mr. Pradhan.

श्री सतीश प्रधान: मैड्म, मैं बता रहा था कि विपक्ष के नेता के घर पर जो हमला हुआ इस विषय पर यहां बात छेड़ी गई। मैं बताना चाहता हूं कि मैड्म, यही दरम्यान जगह-जगह जो उन्होंने 9 तारीख के मोर्चा पर बातें की थीं कि मंत्रियों के घरों में घुसो, इसका परिणाम बहुत अलग हुआ है, उसका शिव सैनिकों के ऊपर बहुत असर पड़ा। साथ-साथ उसी टाईम पर बांद्रा की जो शिव सेना की शाखा है उस पर हमला हुआ। जिस ढंग से हनुमनतप्पा जी ने यहां बताया था वह राम जन्म भूमि का इश्यू हो, बाबरी मस्जिद का हो, इस ढंग से बताया उसी ढंग से शिव सैनिकों के दिल में भी शिव सेना प्रमुख और छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रति आदर है, श्रद्धा है। उस विषय पर हम कभी दो राय के नहीं हो सकते। उनकी मूर्ति, उनकी छवि, उनकी तस्वीर वहां से उठाकर बाहर फैंकी गयी। लोगों को ऐसा शक था, ऐसा लगता था कि इस सबके पीछे हमारी कांग्रेस के विपक्ष के नेता जो थे, उनका इसमें हाथ था। ऐसा लोगों के दिल में था। इसलिए लोगों ने उनके घर पर हमला किया था। यह उसके पीछे कारण है। फिर भी महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र सरकार की भूमिका निभाने का काम पूरा किया। जो गुलाम नबी जी ने बताया है, उसके बारे में शिवसेना प्रमुख ठाकरे जी ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जिस दिन ऐसा अटैक हुआ, उसी दिन 48 लोगों को अरैस्ट किया गया है और उसी दिन पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया है। इस विषय में कॉम्प्रोमाइज़ शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के बीच यू०पी० में नहीं हुआ है, यह भी मैं यहां सामने रखना चाहता हूं।

श्री गोविन्दराम आदिक: इसमें आपके कुछ एम०एल०ए० भी थे।

श्री सतीश प्रधान: जो कुछ भी थे, सबके ऊपर कार्यवाही हुई है। ...(व्यवधान)... मैं आगे के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि इस विषय में महाराष्ट्र सरकार ने पूरी की पूरी कारगर क्षमता रखकर कार्यवाही की है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हमारे राम विलास पासवान जी मुम्बई में गये थे। वहां उनके आने-जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब वह वहां मुम्बई गये थे तो वहां वह महाराष्ट्र में एक जगह पर गये और वहां पर आपने प्रधान मंत्री के प्रतिनिधि के नाते बातचीत की और दूसरी तरफ आपने जनता दल के रीप्रेज़ेंटेटिव के रूप में बातचीत की। क्या सच है और क्या नहीं? आपके आने-जाने का दोनों टाइम का खर्चा किसने दिया? जब वह जनता दल के रीप्रेज़ेंटेटिव के रूप में वहां गये थे तो सरकार को उसकी जिम्मेदारी लेने की क्या आवश्यकता थी, इसका कारण भी ढूंढने की आवश्यकता है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि ....

श्री वसीम अहमद: सतीश साहब बार-बार यह कह रहे हैं। आप प्रीसीडेंट की बात कीजिए। आप बार-बार खर्चे की बात मत करिए, आप क्लीयर पोजीशन

कीजिए। मिनिस्टर कैसे गये, कैसे नहीं यह मुनासिब नहीं है।

श्री सतीश प्रधानः ठीक है, हम दोनों इस विषय पर बाद में बात करेंगे। ...(**व्यवधान**)... मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि यह सब जो गड़बड़ी हो रही है, इसे रोकने के लिए जिस ढंग से सरकार ने काम किया, उसी ढंग से शिवसेना प्रमुख बाल ठाकरे जी ने भी कहा कि महाराष्ट्र में यह सबकी जिम्मेदारी है कि वहां पर शान्ति रखें, यह हमारा भी फर्ज है। इसके लिए शिव सेना प्रमुख ठाकरे साहब से आवाहन किया था कि "झाले तेवढ़े बस झाले।" इस ढंग से उन्होंने आहवान् किया था। "जो अभी तक कहा गया है वह सब भूल जाओ।" इतना ही नहीं दलितों के लिए भी उन्होंने कहा था आप सब लोग गर्म होकर कुछ व्यवहार मत करो, कृपा करके यह समझ लो कि हम दोनों एक ही ब्लड रिलेशन के हैं। यह हमें भूलना नहीं चाहिए कि हम दोनों में ताल्लुकात रहेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकेंगे।" इस ढंग का आग्रह उन्होंने किया था। एक और बात यहां जो बार-बार बतायी गयी थी...।

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): You started around 4.25 P.M.

श्री सतीश प्रधानः मैडम, डिस्टर्बैंस बहुत हो गयी थी।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): डिस्टर्बैंस हो गयी लेकिन आप बोलिए न। आपको इतना टाइम दिया गया, और कितना बोलेंगे आप? आपकी पार्टी का जो समय था, उससे अधिक समय मैंने आपको दिया है, उसके बावजूद भी अगर कुछ बच गया है तो... Who is responsible for this?

श्री सतीश प्रधानः मैं दो-तीन मिनट के अंदर खत्म करूंगा।

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बाकी के लोग भी तो बोलने वाले हैं। एक बहुत सीरियस घटना के बारे में रेलवे मिनिस्टर को स्टेटमेंट देनी है। जो दुर्घटना हुई है, उसके बारे में। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश प्रधानः मैडम, आप ठीक बता रही हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री के०आर० मल्कानी (दिल्ली): इसको कल करें क्या? ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश प्रधानः मैं यह बताना चाहता हूं कि यहां यह घटना घटी, इसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार को बरखास्त करें मुख्य मंत्री का राज न मानो, इस ढंग से बातें यहां कांग्रेस वालों ने और बहुत से सदस्यों ने की हैं। मैं उनसे कहना चाहूंगा। उनको मैं थोड़ा याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त महाराष्ट्र प्रकरण में जब जलूस निकाला था। मोरारजी देसाई और बसंत राव नाईक अलग-अलग समयों पर जब मुख्य मंत्री थे तो ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप इधर उधर मत जाइए, कम टु दि प्वाइंट। ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश प्रधानः ये कह रहे थे कि महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाए। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): कहां बात जा रही है? ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश प्रधानः महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करो, यह कह रहे हैं। ...(**व्यवधान**) गोली कैसे चलाई, जब यह विषय चल रहा है तो यह समझना भी आवश्यक है कि कांग्रेस शासन में कितनी बार मुंबई में भीड़ पर गोली चली। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): प्रधान जी ...(**व्यवधान**)... वन सेंकड मिस्टर प्रधान ...(**व्यवधान**)...

श्री गोविन्दराव आदिकः यह इरिलेवेंट है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मि० प्रधान, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। आज यह सारी जो बातें कर रहे हैं तो क्या आप यह जस्टिफाई कर रहे हैं कि जो हुआ है वह ठीक हुआ है? मैं चाहती हूं कि आप मुद्दे पर आयें और अपनी बात कह कर बैठ जाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। इस से इधर से भी लोग बोलेंगे, उधर से भी लोग बोलेंगे और डिसकशन का सारा मजा चला जाएगा, विषय की सीरियसनेस खत्म हो जाएगी।

श्री सतीश प्रधानः ये कह रहे हैं ...(**व्यवधान**)...

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण (पंजाब): मैडम, यह यह बतायें कि वहां कितने लोग गोली से मारे गए ...(**व्यवधान**)

श्री गोविन्दराव आदिकः यह सब इरिलेवेंट बातें ...(**व्यवधान**)...

श्री सतीश प्रधानः यह जो ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): बात की सीरियसनेस आपको समझनी चाहिए। यहां सभी कबूल कर रहे हैं कि वहां पर दलितों की हत्यायें हुई है ...(व्यवधान)...

श्री सतीश प्रधान: मैं आपको बताना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)...

श्री गोविन्दराव आदिक: यह जो कह रहे हैं सब इरिलेवेंट है। ...(व्यवधान)...

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: सवाल यह है कि वहां पर गोली किसने चलाई है और गोली से वहां पर कितने दलित मारे गए हैं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): प्लीज सिट डाउन। आप बैठिए। ...(व्यवधान)...

श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण: वहां कितने मरे हैं? ...(व्यवधान)...

श्री सतीश प्रधान: इसके लिए इन्क्वायरी बैठी हुई है। उस इन्क्वायरी की जब रिपोर्ट आएगी तब यह पता चलेगा ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): मि० प्रधान, प्लीज कन्क्लूड। ...(व्यवधान)

श्री सतीश प्रधान: वहां पर ...(व्यवधान)... उनको प्रोवोक किया जाता है। इसके पीछे जो कारण है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (कुमारी सरोज खापर्डे): आप उनको बोलने दीजिए। ...(व्यवधान)... प्रधान जी, आपकी बात की डिरेलमेंट हो रहा है। ...(व्यवधान)... सुनिए, मि० प्रधान, डिसक्शन जो है ...(व्यवधान)... मि० प्रधान, प्लीज कन्क्लूड।

श्री सतीश प्रधान: लास्ट टू संटेश। मैं खत्म कर रहा हूं। ...(व्यवधान)...

मैडम, मैं यह बताना चाहता हूं कि थाणा जिले में वाखीडैम में कांग्रेस के नेताओं की, जिसमें वहां के विपक्ष के नेता मौजूद थे मांफिया लोगों के साथ उनकी पार्टी हुई थी ...(व्यवधान)... आपने मुझे जो टाइम दिया इसके लिए धन्यवाद।

SHRI N.K.P. SALVE: Madam, I am on a point of procedure. I would just take one minute and no more. Some very damaging statements have been attributed to the Leader of the Opposition in the Upper House in Maharashtra. Bhandariji and Vishnuji have said that it was in the fitness of things because it was reflecting on the character of a person we were trying to defend. It is absolutely imperative that I point out that the statements attributed to the Leader of the Opposition in the Upper House in Maharashtra that he convassed the desecration of the statues of Mahatma Gandhi were utterly false and untrue and it was clarified very widely on the 23rd May, 1991. And the second aspect of the matters is, "there was provocation caused by the statement made by the Leader of the Opposition in the Upper House." .....(*Interruptions*)...

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: This is not a point of order.

SHRI N.K.P. SALVE: If it has not been recorded, then what I say also need not be recorded. ....(*Interruptions*)...I am on a point of procedure.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: What is that?

SHRI N.K.P. SALVE: The procedure is this. You said that what he said was justified, that was referred to ....

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: I said, these are quotations from a newspaper. And if he is quoting from the newspaper, then he cannot delete words on his own. He has to read the whole sentence. That is what I said. Nothing more than that.

SHRI N.K.P. SALVE: Madam, in that context, it is absolutely necessary that when you are dealing with a Leader of Opposition in the House in the State, when he has denied it, it should also have been brought on record. If that is not to go on record, this will not go on record.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: That you can do.

SHRI N.K.P. SALVE: Secondly, Madam, a very serious allegation has been made that he provoked by saying, "We will enter into the House of the

Minister", and that is why his house was attacked. What I am told is ....(*Interruptions*)... The Leader of the Opposition in the Upper House in Maharashtra. Madam, what happened was that some 5,000 *jhoparies,* slum-dwellers, were thrown out and in that context a statement was made by the Leader of the Opposition in the Upper House, "If you are going to throw us out of authorised colonies in slums, then we will have to go to the Houses of the Ministers." Madam, this is the point. I did not want to joint the fray and the controversy at all. I don't want to add to the controversy at all. But, in all fairness, this should have been brought on record. Thank you, Madam. I am grateful to you.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, I will be very brief. I will not repeat what has been said by my other colleagues. Madam, what has happened on 11th July is a blot on our national fabric because in this 50th year of India's independence we have to witness the atrocities committed on the Dalits. Madam, it happened in the very land where Dr. Babasaheb Ambedkar was born. Madam, I think there is a parallel between this and what happened at the Jallianwala Bagh tragedy. If we go into the report, specially the statement of the Home Minister, there is a procedure in this country and there is a police manual. This police manual is applicable to all the police in all the States. It says that, to control the crowd, you have to give them a warning. You have to either use water cannon, you have to use tear gas or you have to *lathi-charge.* And when the crowd can't be controlled, the crowd can't be dispersed, then you may fire two warning shots, first time, then second time. Only when the police are attacked, then they can fire the shots and that too not above the waistline. But, what happened in Maharashtra goes to prove that it was a bias action on the part of the police. Madam, if we see the statement and even what happened on that day, we know that the agitationists were going away from the highway. The highway was not blocked. There was already one contingent of the police—SRP—and that contingent did not do anything. The second contingent came. They got instructions from somewhere. The moment they got down, they started indiscriminate firing. For any police officer or any police contingent to open fire, you require orders from the Magistrate. That was not followed. That goes to prove that they are being ordered to carry on this massacre. It is a tragedy, the way it has happened. It is more tragic because it happened on helpless people, they may be Dalits, they may be anybody. It happened on people who were not armed. Therefore, I would draw a parallel between this incident and what happened during the colonial regime in Jallianwala Bagh tragedy.

Madam, what has happened to the Leader of the Opposition in a State is a shameful event for a country whith fifty years of democratic traditions, a civilized society.

I would not compare it to what Hitler did during the days of Fascism, during the days of Nazi terror. We know what happened there. We know what happened then. Reichstag was set on fire. Who were blamed? The Communists were blamed. So, if we want to repeat history, we have to repeat history in the modern civilized society, so modern that we are about to celebrate the 50th year of our Independence. I think it is a shameful event. It is a shameful event not for a political party, but it is a shameful event for the whole nation. The nation has to regret and ponder over what has happened. It is not enough for us to have *post mortem.* We have to see to it that these incidents are prevented. It you see the terms of reference of the Inquiry Commission, part five of it says that the Commission has to give suggestions as to how such incidents are to be avoided in future. Madam, I do not have anything against the installing of states of national leaders at public places. We also read

reports that in U.P. Miss Mayawati is installing the statues of Baba Saheb Ambedkar. It is to be done because this is the 50th year of our Independence. He has been the father of our Constitution. But, we have also to take precaution to see that we have a certain mechanism so that the statues at public places are protected. We should not give rise to communal tension. Madam, we have also to see that the police force in our country is revamped. For example, the Rapid Action Force which is organised by the Union Government, has people from different castes, different States, different communities, etc. It will not create any bias against any particular community or caste. Unless we revamp the Police Act of our country and have the police in States on the pattern of RAF, I do not think these incidents and the bias in our society will be eliminated. Madam, I do not know whether any cases have been filed. Madam, when some atrocities are committed on the Harijans, Scheduled Castes or Scheduled Tribes, we have an Act passed by the Parliament in 1989 and this Act is known as the Prevention of Atrocities on Harijans. I would like to know whether any cases have been filed where there was State terrorism, terrorism commited by the State on the helpless people, on the unarmed people. If the State Government cannot investigate, I think it will be appropriate that Central agencies like the CBI should be sent there. The hon. Home Minister is on record to say this and in an interview he blamed the police. The Home Minister has mentioned that the police has miserably failed. We have to instil confidence not only in the people of Maharashtra, it can happen elsewhere as it happened in Gujarat. It may be repeated and, as Mr. Pillai has mentioned, it may be a foreign hand doing all this. No inimical country will like Indian to be so strong. Madam, we have seen that internationally we have been opposed. We were also opposed when we wanted croygenic engine. There are reports that when we purchased SU 33 Jets from Russia, there was opposition to it. So, naturally on the border States they use terrorism. When there are no States which are bordering, then they use this against us within the society. I feel that the Central Government should take proper measures. The Police Act in our country should be revamped. I don't know whether this incident has been referred to the National Human Rights Commission. I think it is an apt case for this purpose. If it is State terrorism, it is an apt case for the National Human Rights Commission to take congnizance of it. With these few words, I feel the Central Government will take cognizance of what I have said. I do not want to charge or counter-charge this party or that party. What I have to say is that in this golden jubilee year of our Independence, we have to make a beginning, we have to do introspection and see how these incidents can be avoided. Thank you, Madam.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA (West Bengal): Madam, I must say that there is someting intrinsically wrong with the State of Maharashtra in the present period. Why I say something intrinsically wrong is it is not a question whether some people have been killed or there was an incident of police firing. [5.00 P.M.] That is not the issue. The issue is...*(Interruptions)*...

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, we can now have the Statement of the Railway Minister because this discussion could spill over to tomorrow. We are anxious to know what has happened to the passengers of the train.

SHRI JOHN F. FERNANDES: Madam, the Minister is ready to make his statement. Let him make his statement. The Home Minister can reply tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Let Mr. Gupta complete his speech. After he concludes, we can have the statement.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: Madam, it is already 5.00 p.m. We can have the clarifications tomorrow.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Let me suggest one thing. I don't mind speaking tomorrow. I understand that the hon. Members are agitated to know about the train accident. The hon. Minister has taken the pains to visit the place and come back to this House. But tomorrow we have a discussion on the Bihar situation also. Therefore, we have to accommodate this business tomorrow.

SHRI H. HANUMANTHAPPA: It should take precedence.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I agree, I will speak tomorrow. But, Madam, you should fix up the time.

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): We have no problem if the discussion on Maharashtra could continue till tomorrow.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): Tomorrow there is a discussion on the Bihar situation also.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: But this debate is already on. It has to be concluded.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): if the House agrees, I don't mind.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: My suggestion would be let this discussion be continued tomorrow immediately after the Question Hour is over, dispensing with the Zero Hour and Special Mentions. This way we can devote more time for this and thereafter we can discuss the Bihar question.

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: I agree with his suggestion. I also made a similar suggestion. Tomorrow, after the Question Hour is over and the Papers are laid on the Table, let us not look for the exciting events during the Zero Hour. Let us dispense with them and complete the discussion on the Maharashtra issue. At 2.30 p.m., let us begin the discussion on the Bihar situation.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी: यह सब होने के बाद फिर वह लिया जाए, उसका कोई निश्चित समय नहीं रहेगा अगर यह आज का स्पिल ओवर कल करना है तो फिर कल की बिजनैस खत्म होने के बाद किया जाए।

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Madam, let us fix up the time. May I suggest that tomorrow at 2.30 p.m., we may take up the discussion on the Bihar situation?

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: What happens if the discussion on the Maharashtra situation is not over by 2.30 p.m.? How can we be sure that this debate would be over by 2.30 p.m.?

SHRI GURUDAS DAS GUPTA: The hon. Member should know that it is already listed and nobody can change it. The only point is the timing. Let the House agree, let the Chair say that we will take up the discussion on the Bihar situation at 2.30 p.m. Immediately after the Question Hour and before beginning the discussion on the Bihar situation, we should complete the discussion on Maharashtra.

SHRI SUNDER SINGH BHANDARI: I would like you to reconsider the matter because the business listed for tomorrow may have to be taken up first.

SHRI PRANAB MUKHERJEE: I think that would be disruption of the discussion. Let this item be over first and after that the Bihar issue can be taken up.

THE VICE-CHAIRMAN (MISS SAROJ KHAPARDE): The consensus is that immediately after the Question Hour, the discussion on Maharashtra should be continued. Let us now take up the statement to be made by the Railway Minister. Mr. Minister.

STATEMENT BY MINISTER RAILWAY ACCIDENT AT FARIDABAD

रेल मंत्री (श्री राम विलास पासवान): उपसभाध्यक्ष महोदया, मैं चाहता था कि यह स्टेटमेंट मैं पहले ही दे दूं क्योंकि मैं वहां से दो-ढाई बजे चला आया था। लेकिन जैसाकि प्रोसेज रूल पाँईट है, उस में स्टेटमेंट तैयार करने, उस का दोनों भाषाओं में ट्रांसलेशन करने और फिर आप के कार्यालय में पहुंचाने में विलंब हुआ है। इस के लिए मैं खेद प्रकटड करना चाहता हूं। महोदया, मैं अभी जो स्टेटमेंट पढ़ूंगा उस के अलावा